आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।			संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन–355 सं0 2. साइलेज इकाई–18 सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 19 सं0 4. जल संभरण टैंक– 27 5. टैंक रैस्टोरेशन–10 सं0 6. टैरेसिंग– 28 है0 7.जल प्रयोग एवं वितरण– 101 है0 8. गली नियन्त्रण संरचनाये–258 9. कॉन्टूर / ग्रेडेड बन्डिंग / ट्रैन्चिंग–12 सं0 10. प्रशिक्षण एवं भ्रमण–121	संरक्षणः– 1. मौन पालन–20 सं0 2. साइलेज इकाई–20सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 1500 वर्ग मी0 4. जल प्रयोग एवं वितरण– 100 है0 5. वर्मी कम्पोस्ट– 300सं0 6. प्रशिक्षण एवं भ्रमण–125 सं0	संरक्षणः– 1. मौन पालन–20 सं0 2. साइलेज इकाई–20 सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 1500 वर्ग मी0 4. जल प्रयोग एवं वितरण– 100 है0 5. वर्मी कम्पोस्ट– 300सं0 6. प्रशिक्षण एवं भ्रमण–125 सं0	उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कलस्टर कृषि को बढ़ावा मिलेगा, कृषको के आय एवं उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. राज्य के सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। 3. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना।	266.00	–	प्रदेश के सभी जोत धारकों को मृदा परीक्षण के आधार पर 8.82 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क वितरित किये गये।	पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित 95 ग्रामों में 13645 मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध कराये गये।	प्रत्येक विकासखण्ड से 05 ग्रामों का चयन कर इन ग्रामों में जोतवार मृदा नमूना एकत्रित कर विश्लेषण करते हुये 48368 मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क वितरित किये जायेंगे। मृदा परीक्षण के महत्व की जानकारी हेतु इन ग्रामों में प्रदर्शन एवं किसान मेले आयोजित होंगे।	मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गयी संस्तुति के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, जिससे अनावश्यक उर्वरकों पर व्यय से बचा जायेगा, उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा।	दो वर्ष
3.3	मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन।	95.00	–	प्रदेश की 13 में से 09 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध हुयी।	03 अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधा सृजित की गयी। इस प्रकार 12 प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों का विश्लेषण हो रहा है।	01 अवशेष प्रयोगशाला में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधा सृजित की जायेगी। इस प्रकार 13 प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों का विश्लेषण हो पायेगा।	प्रदेश की सभी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधायें उपलब्ध होंगी। कृषक पोषक तत्वों के परीक्षण से आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे, मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं उत्पादकता में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	परम्परागत कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	1958.70	–	वर्ष 2018–19 से वर्ष 2020–21 तक 03 वर्षों हेतु 3900 परम्परागत जैविक कृषि के कलस्टर स्वीकृत हुये, जिसके अन्तर्गत 78000 है0 पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण किया जाना है। चयनित कलस्टरों में परम्परागत फसल उत्पादन के 2555, सब्जी / उद्यानीकरण / फूलों के 1241, रेशम विकास के 59 एवं सगन्ध पौध के 45 कलस्टर चयनित किये गये।	चयनित 3900 कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग, कैप, जड़ी–बूटी एवं उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् तथा सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से निम्न कार्य किये जा रहे हैं :– कलस्टर गठन, प्रशिक्षण, एक्पोजर भ्रमण, प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्र जारी करना, डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि देना, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार, वर्मीकमपोस्ट एवं कमपोस्ट संरचनाओं का निर्माण, जैविक बीज, बायोफर्टीलाइजर आदि की व्यवस्था एवं उत्पादों की ब्रान्डिंग करना।	चयनित 3900 कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग, कैप एवं उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् तथा सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से निम्न कार्य कराये जायेंगे:– कलस्टर गठन, प्रशिक्षण, एक्पोजर भ्रमण, प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्र जारी करना, डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि देना, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार वर्मीकमपोस्ट एवं कमपोस्ट संरचनाओं का निर्माण, जैविक बीज, बायोफर्टीलाइजर आदि की व्यवस्था एवं उत्पादों की ब्रान्डिंग करना।	78000 हैक्टेयर पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आने से उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होगा। यह क्षेत्र जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित होगा।	तीन वर्ष
3.5	नैशनल बैम्बू मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	बांस की खेती को प्रोत्साहन	0.03	–	योजना वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।			कृषकों की आय में वृद्वि एवं रोजगार के अवसर।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– पर ड्रॉप मोर क्रॉप (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना। 2. प्रेसिसियन सिचांई एवं जल बचत तकनीकी को अपनाना। 3. भूमि एवं जल संरक्षण, भूमिगत जल का उपयोग वर्षा जल की रोकथाम। 4. जल संभरण प्रबंधन।	1990.00	–	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–1331 2. सामुदायिक सिंचाई नालियां (सं0)– 34 3. HDPE पाईप मी0– 20350 4. जल पम्प(सं0)–228 5. ट्यूबवेल(सं0)–320 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 77 7. प्रशिक्षण / भ्रमण(सं0) –13	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–476 2. सामुदायिक सिंचाई नालियां (सं0)– 10 3. HDPE पाईप(मी0)–0 4. जल पम्प(सं0)–0 5. ट्यूबवेल(सं0)– 167 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 0 7. प्रशिक्षण / भ्रमण(सं0) –0	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–2958 2. सामुदायिक सिंचाई नालियां / HDPE / LDPE पाईप (मी0)–454000 3. जल पम्प(सं0)–106 4. ट्यूबवेल(सं0)– 235 5. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)–93 6. प्रशिक्षण / भ्रमण(सं0) –35	सीमित जल संसाधनों से अधिक से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा, लगभग 2000 है0 में सिंचन सुविधा उपलब्ध होगी। उत्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
5.	**राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)**								
5.1	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1.लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना। 2.कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, जिसमें लघु	4326.00	–	(इकाई संख्या में) 1. **कस्टम हायरिंग सेन्टर** –60 2. **फार्म मशीनरी बैंक**–404	(इकाई संख्या में) 1. **कस्टम हायरिंग सेन्टर**–95 2. **फार्म मशीनरी बैंक**–442	(इकाई संख्या में) 1. **कस्टम हायरिंग सेन्टर**–80 2. **फार्म मशीनरी बैंक**–500	फार्म पावर बढ़कर 2 किलोवाट प्रति हैक्टेयर तक पहुंचने की सम्भावना। लघु एवं सीमान्त कृषकों तक	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। 3.फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना जिससे सीमांत और लघु कषकों को भी समस्त कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। 4.सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह (Hub) तैयार करना। 5.प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना। 6.प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।			3. ट्रैक्टर – 160 4. ट्रैक्टर चालित यंत्र –750 5. रोटावेटर –100 6. लेजर लैंड लेवलर –30 7. पावर वीडर – 145 8.पावर टिलर – 650 9. पावर चलित यन्त्र – 1150 10. पौध सुरक्षा यंत्र –250 11. ब्रश कटर– 2000 12. पशु चालित यंत्र–30 13. मानव चालित यंत्र–4000 14. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स– 0 15. मिनी राईस/ दाल मिल –60	3. ट्रैक्टर – 333 4. ट्रैक्टर चालित यंत्र –1000 5. रोटावेटर –670 6. लेजर लैंड लेवलर –33 7. पावर वीडर – 874 8.पावर टिलर – 134 9. पावर चलित यन्त्र – 1100 10. पौध सुरक्षा यंत्र –1200 11. ब्रश कटर– 180 12. पशु चालित यंत्र–1000 13. मानव चालित यंत्र–500 14. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स– 300	3. ट्रैक्टर – 220 4. ट्रैक्टर चालित यंत्र–1800 5. रोटावेटर –600 6. लेजर लैंड लेवलर –50 7. पावर वीडर – 700 8.पावर टिलर – 125 9. पावर चलित यन्त्र – 1200 10. पौध सुरक्षा यंत्र –1400 11. ब्रश कटर– 200 12. पशु चालित यंत्र–550 13. मानव चालित यंत्र–1000 14. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स– 500 15. मिनी राईस/ दाल मिल –10	कृषि यन्त्रों की पहुँच बढ़ेगी। समय एवं श्रम की बचत होगी, उत्पादन लागत में कमी आयेगी, फलस्वरूप कृषकों की आय एवं उत्पादन में वृद्धि।	

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कृषको को अपने प्रक्षेत्रो पर ही प्रमाणित बीज तैयार कराने हेतु गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं बुखारी वितरण।	512.00	–	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या– 45034 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0– 17363 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)– 12601 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर आदि) का बीज वितरण(कुं0)–1197	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–52502 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0– 21025 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–15010 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर आदि) का बीज वितरण(कुं0)– 657	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–92350 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0– 27702 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण(कुं0)– 16543 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर आदि) का बीज वितरण (कुं0)–2644	कृषकों को नवीनतम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे, जिससे बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि होगी, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी।	एक वर्ष
5.3	NeGPA (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार।	121.00	–	निम्नानुसार विभिन्न विभागों को कुल 91 कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करायी	विभिन्न विभागों को 77 कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।	विभिन्न विभागों / कार्यालयों को 100 कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।	सूचनाओं का अद्यतन ऑनलाईन आदान–प्रदान होगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					गयीः– 1. उद्यान–27, 2. मत्स्य–6 3. मुख्य कृषि अधिकारी–13 4. मण्डलीय कार्यालय–1 5. राज्य स्तर / कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई स्तर– 44				
5.4	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA) (90% केन्द्रांश एवं 10 % राज्यांश)	1. फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। 2. कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण। 3. क्षेत्र विशेष एवं मांग आधारित तकनीकी सेवा का विकास। 4. कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु कार्य करना।	1052.00	–	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 297 2. प्रदर्शन– 2549 3. भ्रमण कार्यक्रम–227 4. कृषक समूहों का गठन– 227 5. किसान मेलों का आयोजन–21 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–13 7. किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 180	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण – 263 2. प्रदर्शन– 3737 3. भ्रमण कार्यक्रम–366 4. कृषक समूहों का गठन– 455 5. किसान मेलों का आयोजन–12 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–12 7. किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 151	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण – 300 2. प्रदर्शन–3850 3. भ्रमण कार्यक्रम– 400 4. कृषक समूहों का गठन– 500 5. किसान मेलों का आयोजन– 15 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद– 15 7. किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 160	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों के प्रचार–प्रसार एवं प्रदर्शनो से उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. सबलीकरण कृषक समूह का गठन। **6.** सभी सम्बन्धित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कृषक समूहो द्वारा क्रियान्वयन करना तथा अनुसंधान– प्रचार कड़ी को सक्षम बनाना।			**8.** कृषक पुरूस्कार–278 **9. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक–** 58693	**8.** कृषक पुरूस्कार– 386 **9. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक–** 54507	**8.** कृषक पुरूस्कार–400 **9. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक** –59000		
6	किसानों हेतु फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) (50% केन्द्रांश एवं 50 % राज्यांश)	**1.** किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। **2.** खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना। **3.** किसानों को प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का	**400.00**	–	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संचालित है। **1.** बीमित कृषकों की संख्या– 1.38 लाख **2.** बीमित क्षेत्रफल– 0.84 लाख है0 **3.** बीमित धनराशि–रू0 60191.66 लाख	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संचालित है। **1.** बीमित कृषकों की संख्या– 1.40 लाख **2.** बीमित क्षेत्रफल– 0.79 लाख है0 **3.** बीमित धनराशि–रू0 57588.64 लाख	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संचालित है। योजना में 1.50 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है।	प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को योजना से बीमित फसल की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	––तदैव ––	उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देना। **4.** उत्पादन जोखिम से कृषकों की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।			**4.**प्रीमियम की धनराशि– रू0 1405.81 लाख **5.** क्लेम की धनराशि– रू0 789.38 लाख रू0 **6.** लाभान्वित कृषक– 30732	**4.**प्रीमियम की धनराशि– रू0 1599.60 लाख **5.** क्लेम भुगतान खरीफ में– 259.48 लाख। **6.** लाभान्वित कृषक खरीफ में– 20346			
7	**कृषि गणना एवं कृषि सॉख्यिकी की एकीकृत योजना**								
7.1	क्षेत्रफल के अनुमान लगाने की योजना Timely Reporting Scheme (TRS) **(100 प्रतिशत केन्द्रांश)**	बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना।	**37.85**	–	**नियोजित एवं विश्लेषित अनुमान (TRS)** खरीफ–1687 रबी– 1687 जायद– 480 योग – 3854	नियोजित अनुमान (TRS) खरीफ–1689 रबी– 1689 जायद– 478 विश्लेषित (TRS) खरीफ–1687 रबी –1689 जायद–478	बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करना। **नियोजित एवं विश्लेषित (TRS)** खरीफ–1690 रबी –1690 जायद–480	फसलों के क्षेत्रफल का अनुमान प्राप्त होगा, जिसके आधार पर उत्पादन का अग्रिम आंकलन तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा, जो प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण करने के लिये आवश्यक है।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2	फसल सांख्यिकी सुधार योजना Improvement In Crop Statistics (ICS) **(100 प्रतिशत केन्द्रांश)**	फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना।	31.05	–	**नियोजित पड़ताल जांच–540 ग्राम** खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग फसल धान– 100 प्रयोग फसल मण्डुआ – 80 प्रयोग फसल गेहूँ – 120 प्रयोग **विश्लेषित पड़ताल** जांच–530 खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 क्रॉप कटिंग फसल धान–96 प्रयोग फसल मण्डुआ – 80 प्रयोग फसल गेहूँ – 120 प्रयोग	**नियोजित पड़ताल जांच–540 ग्राम** खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग फसल धान– 100 प्रयोग फसल मण्डुआ – 80 प्रयोग फसल गेहूँ – 120 प्रयोग **विश्लेषित पड़ताल** जांच–220 खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–110 क्रॉप कटिंग फसल धान–100 प्रयोग फसल मण्डुआ – 80 प्रयोग फसल गेहूँ – कार्य होना शेष है। मौसम रबी 2019–20 में कार्य होना अभी शेष है।	**नियोजित पड़ताल जांच–540 ग्राम** खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग फसल धान– 100 प्रयोग फसल मण्डुआ – 80 प्रयोग फसल गेहूँ – 120 प्रयोग	कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता लगाकर तथा उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना।	एक वर्ष
8	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KMY) **(100 प्रतिशत केन्द्रांश)**	1. किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान	–	–	तीन समान किस्तों में प्रत्येक किस्त रू0 2000.00 कुल रू0 6000.00 समस्त किसान	6.70 लाख कृषकों को द्वितीय किस्त, 6.04 लाख कृषकों को तृतीय एवं 4.53 लाख कृषकों को चतुर्थ किस्त का भुगतान किया गया।	योजना के अन्तर्गत अनुमानित 8.38 लाख कृषकों में 7.20 लाख कृषक लाभान्वित हुये हैं। शेष 1.18 लाख कृषकों को योजना से जोड़ा जायेगा।	कृषक समय से खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(100 प्रतिशत केन्द्रपोषित)	करने,उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति हेतु। 2. योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उनके सम्मानजनक जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।			परिवारों को प्रतिवर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना। 7.02 लाख कृषकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया।				
9	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) **(50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का)**	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में सभी 18 से 40 आयु वर्ग के भू–धारक लघु और सीमान्त किसानों पुरूष और स्त्री दोनों के लिए स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन स्कीम है। अंशदान करने वाले कृषको को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये मासिक पेंशन की व्यवस्था है।	–	–	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन प्रारम्भ की गयी है, पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार किया गया।	1688 कृषक योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये।	सभी पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करते हुये वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ प्राप्त होगा।	एक वर्ष
केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग			**19154.63**	—					

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत									
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	12024.51	–	कृषि विभाग के कार्यरत 1505 अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्रॉपकटिंग प्रयोग–खरीफ 5122, रबी / जायद–3690 आयोजित किये गये।	कृषि विभाग के कार्यरत 1280 अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्त तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत खरीफ में 5015 क्रॉपकटिंग प्रयोग किये गये एवं रबी / जायद में लगभग –3700 आयोजित किये जायेगें।	कृषि विभाग के कुल स्वीकृत पद 2489 अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्रॉपकटिंग प्रयोग–खरीफ 5020, रबी / जायद–3710 आयोजित किये जायेंगे।	कृषि से सम्बन्धित कार्य सतत् रूप से सम्पादित होंगे। खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आंकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये जायेगें, प्रदेश एवं देश के उत्पादन के आंकड़े तैयार किये जायेगें। सतत् क्रियाकलापो के संचालन से उत्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
2	कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	616.03	–	670 न्यायपंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया व कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया तथा 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया तथा 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा।	कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	60.00	–	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0 पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर, मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव, इन प्रयोगशालाओं में मृदा नमूनों, उर्वरक,कीटनाशी तथा बीज नमूनों का विश्लेषण किया गया। **मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण**–4,45,556 **नमूनों का विश्लेषणः–** मृदा– 71482 उर्वरक– 372 कीटनाशी–428 बीज–492	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव, इन प्रयोगशालाओ में मृदा नमूनों, उर्वरक, कीटनाशी तथा बीज नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। **मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण**–13,645 **नमूनों का विश्लेषणः–** मृदा– 13,605 उर्वरक– 267 कीटनाशी–418 बीज–497	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव, इन प्रयोगशालाओ में मृदा नमूनों, उर्वरक, कीटनाशी तथा बीज नमूनों का विश्लेषण किया जायेगा। **मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण**–48,368 **नमूनों का विश्लेषण :–** मृदा– 48,368 उर्वरक–300 कीटनाशी–425 बीज –500	कृषकों को गुणवत्तायुक्त तथा मानक के बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को केन्द्र–पोषित योजनाओं में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 एवं 40 प्रतिशत अनुदान राज्य सैक्टर से प्रदान करना ताकि कृषकों को कम मूल्य पर यंत्र उपलब्ध हो सके।	400.00	–	**केन्द्रपोषित योजना** सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाग्रस्त जनपदों में 40 प्रतिशत एवं अन्य पर्वतीय जनपदों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी गयी।	**केन्द्रपोषित योजना सब** मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाग्रस्त जनपदों में 40 प्रतिशत एवं अन्य पर्वतीय जनपदों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी जा रही है।	**केन्द्रपोषित योजना सब** मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाग्रस्त जनपदों में 40 प्रतिशत एवं अन्य पर्वतीय जनपदों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी जायेगी।	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर कृषि यंत्रों का उपयोग कम है वहां उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को कम से कम मूल्य पर प्राप्त होंगे, जिससे लघु एवं सीमान्त तथा सुदूर क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों का विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
5	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना	40.80	–	**राज्य किसान** आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं थे।	**राज्य किसान आयोग के** अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जा रहा है।	**राज्य किसान आयोग के** अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।	कृषि क्षेत्र की नयी सम्भावनाओं की तलाश, कृषकों की समस्याओं का समाधान एवं कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना	कृषक स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।	1200.00	–	प्रत्येक विकासखण्ड से एक कलस्टर का चयन किया गया है। कुल 95 कलस्टर चयनित कर कार्ययोजना तैयार की गयी।	चयनित 95 कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम प्रारम्भ गतिमान है।	चयनित 95 कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।	कलस्टर आधारित स्वयं सहकारी कृषि के माध्यम से एकीकृत कृषि कार्यक्रमों के संचालन से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा कृषकों की आय बढ़ेगी।	एक वर्ष
7	कृषको की आय दोगुना करना	वर्ष 2022 तक कृषकों की आय में वृद्धि कर उसे दोगुना करना।	100.00	–	न्याय–पंचायत स्तर एवं जनपद का माइक्रोप्लान तैयार किया गया है। माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से क्रियाकलाप संचालित करना केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं से ऐसे कार्यक्रमो को सम्मिलित कर उनके क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी गयी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि सम्भव हो।	माइक्रोप्लान के अनुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।	माइक्रोप्लान के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने पर कार्य किया जायेगा।	कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उन्नत प्रजातियों के बीज का उत्पादन।	83.52	–	05 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 34.40 हैक्टेयर में 419.70 कुं0 खरीफ एवं 760 कुं0 रबी बीजों का उत्पादन हुआ। कुल 1179.70 कुं0 बीज उत्पादन	05 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 34.40 हैक्टेयर में 434.45 कुं0 खरीफ बीजों का उत्पादन हुआ एवं 850 कुं0 रबी बीजों के उत्पादन की सम्भावना है। कुल 1284.45 कुं0 बीज उत्पादन की संभावना।	05 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर खरीफ एवं रबी में अनुमानित 1350 कुं0 बीज उत्पादन का लक्ष्य है।	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संस्तुत फसल प्रजातियों के बीजो की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, गुणवत्ता बीजों के उपयोग से उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर मे वृद्धि होगी।	एक वर्ष
9	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना।	150.00	–	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 04 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद का प्रशासनिक व्यय आदि।	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 कार्मिकों के वेतन भत्तों एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा योजित कार्मिको के पारिश्रमिक का भुगतान एवं परिषद का प्रशासनिक व्यय आदि किया जा रहा है।	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत कार्मिकों एवं आउट सोर्सिंग/संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के वेतन भत्तों/पारिश्रमिक का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जायेगा।	जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा।	एक वर्ष
10	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	राज्य में किसानों के मध्य तकनीकियो का आदान प्रदान।	20.10	–	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया गया।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जा रहा है।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जायेगा।	कृषि से सम्बन्धित योजनाओं एवं तकनीकियों का प्रचार–प्रसार।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	खाद्यान्न / दलहन / तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	–	1500.00	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 21113.65 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर उसका वितरण किया गया।	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 31961.23 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर वितरण किया जा रहा है।	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 36590.00 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय किया जायेगा।	गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी।	एक वर्ष
12	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की लागत	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव एवं खेती के लिये आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की आपूर्ति	–	1000.00	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया गया – 1. रसायन– 368 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 4320 मै0टन 3. जैव उर्वरक– 408 मै0टन	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जा रहा हैं – 1. रसायन–387 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 4380 मै0टन 3. जैव उर्वरक–406मै0टन	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जायेंगा – 1. रसायन–400 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 4408 मै0टन 3. जैव उर्वरक–410 मै0टन	फसलों पर लगने वाले कीट / रोगों के नियन्त्रण हेतु गुणवत्तापूर्ण कीटरोगनाशक औषधियां एवं माइक्रोन्यूट्रेन्ट कृषकों को आवश्यकता के अनुसार समय से अपने नजदीकी कृषि निवेश केन्द्रों पर उपलब्ध हो पायेंगी। उत्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
13	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	–	45.00	विकासखण्डों पर स्थित 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण का कार्य किया गया।	विकासखण्डों पर स्थित 15 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है।	राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर निर्मित लगभग 30 भवनो / भण्डरो का अनुरक्षण।	परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होगी। भवन निरन्तर उपयोग में आते रहेंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	300.00	–	चयनित 40 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :- 1. बीज मिनिकिट वितरण–2116 सं0 2. पौध रक्षा कार्यक्रम–813 है0 3. कृषि यंत्र वितरण–2819 सं0 4. सिंचाई टेंक–70 5. सामु0सिंचाई टेंक–02 सं0 6. सिंचाई गूल–230 मी0 7. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–293है0 8. प्रशिक्षण–35 सं0 9. छत वर्षा जल संग्रहण टेंक–190सं0 10. HDPE पाईप वितरण–13500 मी0 11. पॉली हाऊस–21 12. स्थानीय व्यवसाय 32 सं0 13. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु घेरबाड़–800 मी0	चयनित 46 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :– 1. बीज मिनिकिट वितरण–2668 सं0 2. पौध रक्षा कार्यक्रम–416 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 3594 सं0 4. सिंचाई टेंक–354 सं0 5. सामु0सिंचाई टेंक– 09 सं0 6. सिंचाई गूल– 251 मी0 7. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–608 है0 8. छत वर्षा जल संग्रहण टेंक– 65 सं0 9. HDPE पाईप वितरण–. 12400 मी0 10. पॉली हाऊस–16 सं0 11. स्थानीय व्यवसाय– 2062 सं0 12. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु घेरबाड़–540 मी0	चयनित 40 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें :– 1. बीज मिनिकिट वितरण–2730 सं0 2. पौध रक्षा कार्यक्रम–470 है0 3. कृषि यंत्र वितरण–3640 सं0 4. सिंचाई टेंक–372 सं0 5. सामु0 सिंचाई टेंक– 11 सं0 6. सिंचाई गूल– 262 मी0 7. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– 618 है0 8. छत वर्षा जल संग्रहण टेंक– 69 सं0 9. HDPE पाईप वितरण–14000 मी0 10. पॉली हाऊस–19 सं0 11. स्थानीय व्यवसाय–2100 सं0 12. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु घेरबाड़–580 मी0	चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि क्षेत्र का समग्र विकास होगा जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार तथा उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होगी ।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामो का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	150.00	–	चयनित 07 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित कियेः– 1. बीज मिनि0 वितरण –580 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–121 है0 3. सिंचाई टैंक / छत वर्षा जल संग्रहण टेंक –06 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–1841 सं0 5. HDPE पाईप–4000 मी0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 90 है0 7. मुर्गी पालन–20 सं0	चयनित 13 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :– 1. बीज मिनि0वित0–1334 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–1009 है0 3. सिंचाई टैंक / छत वर्षा जल संग्रहण टेंक –08 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–2525 सं0 5. HDPE पाईप– 10950 मी0 6. फार्म मशीनरी बैंक– 01 सं0 7. पौध रक्षा कार्यक्रम–465 है0 8. कच्चे तालाब– 04 सं0 9. मुर्गी पालन–40 सं0 10. सिंचाई गूल–800 मी0 11. कृषि रक्षा रसायन / सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण– 30 है0	चयनित 15 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगेः– 1. बीज मिनि0वित0–1376 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– 1030 है0 3. सिंचाई टैंक / छत वर्षा जल संग्रहण टेंक –09 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–2600 सं0 5. HDPE पाईप– 11500 मी0 6. फार्म मशीनरी बैंक– 02 सं0 7. पौध रक्षा कार्यक्रम– 495 है0 8. कच्चे तालाब– 05 सं0 9. मुर्गी पालन–45 सं0 10. सिंचाई गूल–900 मी0 11. कृषि रक्षा रसायन / सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण– 45 है0	चयनित ग्रामों मे अनुसूचित जनजाति कृषकों की कृषि के प्रति रुची मे वृद्धि कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	न्यायपंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	न्याय पंचायतों पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करना।	0.01	–	यह योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन से संचालित हो रही है।			पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ एवं लघु, सीमान्त कृषकों को आवश्यकता के अनुरूप सभी प्रकार के यंत्र प्राप्त होंगे।	एक वर्ष
17	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	200.00	–	योजना संचालित नहीं हुयी।		योजना संचालन के उपरान्त आउटपुट निर्धारित किये जाएंगे।	सीनीय फसलो के उत्पादन एवं कृषको के आय में वृद्धि	एक वर्ष
18	जैविक मंडुवा उत्पादन कार्यक्रम	जैविक मंडुवा के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि	0.01	–	योजना संचालित नहीं हुयी।				एक वर्ष
				राज्य सैक्टर की नयी परियोजनायें।					
19	मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना	राज्य के समग्र कृषि विकास के लिए	1800.00	–	–	नयी योजना प्रारम्भ की गयी है।	योजना का क्रियान्वयन के उपरान्त निर्धारित लक्ष्यो के अनुसार कार्य।	कृषक उत्पादन एवं कृषको की आय में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार के अवसर।	एक वर्ष
20	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	कृषको को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना।	10.00	–	–	नयी योजना प्रारम्भ की गयी है।	योजना का क्रियान्वयन के उपरान्त निर्धारित लक्ष्यो के अनुसार कार्य।	कृषको की आय में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2020–21

विभाग का नाम–कृषि

(धनराशि लाख रु०)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	कृषि इंश्योरेन्स सर्वेक्षण	न्याय पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी।	300.00	–	–	नयी योजना प्रारम्भ की गयी है।	योजना का क्रियान्वयन के उपरान्त निर्धारित लक्ष्यो के अनुसार कार्य।	क्षतिपूर्ति का सही आकलन हो पायेगा जिससे कृषको को क्षतिपूर्ति का वास्तविक भुगतान प्राप्त हो पायेगा।	एक वर्ष
राज्य सेक्टर का योग			17454.98	2545.00					
केन्द्र पोषित योजनओ एवं राज्य सैक्टर का योग			36609.61	2545.00					
कुल बजट प्रावधान (राजस्व एवं पूंजीगत)			39154.61						

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप- आउटकम बजट, वर्ष 2020-21

कृषि विभाग के सतत विकास लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण

क्र. स	SDG संकेतक	1-4-2019 की स्थिति (भौतिक)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) व र्ष 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
1	खाद्यान्न उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	22.47	23.72	24.90	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
2	खाद्यान्न उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	11.94	14.30	15	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
3	लघु व सीमान्त कृषकों की औसत आय (रूपये में)	89100.00	98200.00	107350.00	कृषकों की आय में वृद्धि।
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रबी व खरीफ में नोटिफाइड फसलों के अन्तर्गत बीमित कृषकों की संख्या (संख्या लाख में)	1.38	1.40	1.50	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत वृद्धि।
5	धान, गेहूँ, मोटे अनाज की उत्पादकता (क्विंटल	प्रति हैक्टेयर)			
	धान	23.50	25.99	27.00	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि।
	गेहूँ	29.10	29.33	30.50	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि।
	मक्का	18.66	19.21	20.00	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि।
	औसत	**23.75**	**24.84**	**25.83**	वर्ष 2019–20 की तुलना में औसतन लगभग 4 प्रतिशत एवं वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि।
6	मृदा स्वास्थ्य कार्ड (संख्या लाख में)	8.82	0.14	0.48	वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 34000 अधिक कृषि जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप- आउटकम बजट, वर्ष 2020-21

कृषि विभाग के सतत विकास लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण

क्र. स	SDG संकेतक	1-4-2019 की स्थिति (भौतिक)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) व र्ष 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
7	जैविक कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	1.24	1.52	2.32	वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 1.08 लाख हैक्टेयर जैविक कृषि का क्षेत्रफल बढ़ेगा।
8	कुल सिंचित क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	3.29	3.31	3.34	वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 3252 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल में विभिन्न जल संचय संरचनाओं के निर्माण/उपयोग से वृद्धि।
9	जैविक कृषि में लगे कृषकों की संख्या (संख्या लाख में)	2.56	2.95	3.50	वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग 1.14 लाख अतिरिक्त कृषक जैविक कृषि से जुड़ेंगे।
10	प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि (कृषक जोत संख्या लाख में)	7.02	7.20	8.38	समस्त पात्र कृषकों को योजना से जोड़ा जायेगा, जिससे सभी कृषक लाभान्वित होंगे।
11	रासायनिक उर्वरकों का उपयोग–तत्व में (मैट्रिक टन में)	1.69	1.50	1.52	मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग को बढ़ाया जायेगा।
12	कीटनाशी रसायनों का उपयोग (लाख–लीटर/किलोग्राम)	3.68	4.00	4.15	कीट/रोग/खरपतवारों का नियंत्रण। जैविक कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि होगी।

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020–21
(विधानसभा में बजट प्रस्तुत होने के उपरान्त की स्थिति के अनुसार)

विभाग का नाम–खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी०– 01,07 & 12

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउटले/बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 को सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	कल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	अधिष्ठान व्यय (खाद्य)	आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों एवं कार्यालय के समस्त प्रकार के व्यय।	4234.07	—	4173.21	3270.07	744 अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतन आदि पर होने वाले व्यय का प्राविधान किया गया है।	खाद्य विभाग के कार्मिकों द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों से धान का क्रय तथा भारतीय खाद्य निगम से आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न तथा का०गन्ना/चीनी मिलों से चीनी का क्रय कर इसका संग्रहण एवं विभाग द्वारा संचालित 105 आन्तरिक/बेस गोदामों के माध्यम से 9225 उचित दर विक्रेताओं को प्रतिमाह खाद्यान्न/चीनी का निर्गमन/प्रेषण सुनिश्चित कराया जा रहा है। जिससे राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थियों को प्रतिमाह समयान्तर्गत खाद्यान्न/ चीनी की उपलब्धता कार्मिकों के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। विभाग में कार्यरत कार्मिकों के वेतन/भत्तों एवं अन्य अधिष्ठान मदों को समय से भुगतान किया जाना जिससे शासकीय कार्मिकों को पारिवारिक/व्यक्तिगत दायित्वों के निर्वहन में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।	वार्षिक

Scanned by CamScanner

02.	अधिष्ठान व्यय (राज्य खाद्य आयोग)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत खाद्यान्न से सम्बन्धित उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई एवं निस्तारण किया जाना।	92.3[illegible]	—	91.00	90.00	राज्य खाद्य आयोग में कार्यरत 10अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय का प्राविधान किया गया है ।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के दृष्टिगत वैधानिक परिपेक्ष में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राज्य खाद्य आयोग द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में भी पारदर्शिता आयी है।	वार्षिक
03	खाद्यान्न सब्सिडी	भारत सरकार द्वारा रबी/खरीफ वर्षों हेतु निर्धारित मूल्य समर्थन योजना पर होने वाले व्यय एवं इसके भण्डारण/परिवहन/वितरण पर होने वाले अन्य व्ययों एवं उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित निर्गमन मूल्य के अन्तर मूल्य को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाना।	15000	—	15500	15000	NFSA (PHH & AAY)- 12712.830 मी0टन गेहूँ व 20741.970 मी0टन चावल का आवंटन प्रतिमाह किया जाता है। Tide Over Allocation – 2792.400 मी0टन चावल 8884.400 मी0टन गेहूँ का प्रतिमाह का आवंटन निर्धारित किया गया है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ते सस्ते और कम दरों पर खाद्यान्न/चीनी तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उन्हें वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके। उक्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाये जाने पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को खाद्यान्न/चीनी वितरण पर सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है।	वार्षिक
04	चीनी सब्सिडी	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर अन्त्योदय उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर चीनी वितरित की जाती है जिसका क्रय मूल्य तथा निर्गमन मूल्य का अन्तर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाना।	1000	—	1000	1000	अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 182.179 मी0टन प्रतिमाह चीनी का आवंटन निर्धारित है 1.0 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड की दर से वर्तमान में राज्य में 1,82,179 अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरित की जा रही है।	राज्य के अत्यन्त निर्धन परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत ₹13.50प्रति किग्रा0 की दर से प्रति कार्डधारक को एक किग्रा0 चीनी का वितरण किया जा रहा है।फलस्वरूप राज्य के अति निर्धन परिवारों को कम मूल्य पर चीनी उपलब्ध हो रही है ।	वार्षिक
05	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न/चीनी पारदर्शी रूप से वितरित किये जाने हेतु	—	250	300	250	राज्य के 198 खाद्यान्न गोदामों का कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग, 9,139 सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों का	सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अर्ह उपभोक्ताओं की पहचान कर चयन किये जाने, अपात्र/बोगस कार्ड धारकों का उन्मूलन करते हुए	05 वर्ष

Scanned by CamScanner

		खरीद से लेकर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जाना।					कम्प्यूटीकरण तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 11,30,196 अन्त्योदय योजना के 1,86,171 एवं राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत 10,25,030 राशन कार्डो का डिजिटाईजेशन का कार्य किया गया।	वास्तविक उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने तथा संचरण के दौरान खाद्यान्न का दुर्विनियोग रोकना है। कम्प्यूटराईजेशन के फलस्वरूप वास्तविक लाभार्थियों को पूर्णतया पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया जाना सम्भव हुआ तथा खाद्यान्न के दुर्विनियोग तथा Lekage diversion को रोकने में सफलता प्राप्त हुयी है।	
06	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटीकरण के अन्तर्गत Electronic Weighing मशीनों की स्थापना।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत योजनाओं के उचित दर विक्रेताओं को पारदर्शी रूप से तौल कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना।	—	600	600	600	राज्य के 195 खाद्यान्न गोदामों में Electronic Weighing मशीनें लगाया जाना।	उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा का खाद्यान्न वितरित किये जाने तथा तौल में पारदर्शिता लाये जाने हेतु प्रत्येक गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाई जा रही है। जिससे उचित दर विक्रेताओं को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके तथा घटतौली की शिकायतें न रह सके।	02 वर्ष
07	उपभोक्ता जागृति योजना (कन्ज्यूमर हेल्प लाईन)	उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण विषयक मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण किया जाना।	—	100	10	10	इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है।	उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उपभोक्ता अधिनियम 1986 तथा 2019 में दिये गये उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित किये जाने हेतु उन्हे जागृत किये जाने तथा न्यायालय/आयोग में वाद दाखिल करने से पूर्व उपभोक्ताओं की समस्याओं का कन्ज्यूमर सेन्टर के माध्यम से निदान कराया जाना।	05 वर्ष
08	सिविल पूर्ति के अन्तर्गत निर्धन परिवारों हेतु गैस पर अनुदान।	गैस विहीन निर्धन परिवारों को गैस कनेक्शन हेतु अनुदान सहायता भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित अन्त्योदय प्राथमिक परिवारों तथा ₹2,00,000.00 तक वार्षिक आय वाले बिना गैस कनेक्शन धारियों को धुआं मुक्त रसोई व कैरोसीन मुक्त राज्य हेतु राज्य उज्ज्वला दिनांक	—	100	100	100	राज्य के निर्धन गैस विहीन परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना। अब तक 7746 निर्धन परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके है।	राज्य के ऐसे लाभार्थी जो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की परिधि में नहीं आते है उनको अनुदान प्रदान करते हुये धुआं रहित ईंधन उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस कनेक्शन दिये गये, जिससे घरेलू तथा कामकाजी महिलाओं के जीवन स्तर में सुखद बदलाव हुये है।	02 वर्ष

Scanned by CamScanner

		31.10.2017 को प्रारम्भ की गयी।							
निर्माण योजना (राज्य सैक्टर) पूंजीगत									
01	आयुक्त खाद्य भवन का निर्माण	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मुख्यालय एवं सम्भागीय कार्यालयों को एक परिसर में कार्य करने हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाना।	—	100	01	0.00	कार्यालय भवन के शेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना।	राज्य में खाद्य विभाग का मुख्यालय रिंग रोड मसूरी बाईपास, लाडपुर में बनकर तैयार हो गया, इस भवन के बन जाने से आयुक्त कार्यालय के तीनों शाखाओं के साथ-साथ सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल के कार्यालय भी एक भवन में आ गये है।	01 वर्ष
								जिससे जहाँ एक ओर विभाग में कार्य सम्पादित कराये जाने में सुगमता हुई है वहीं दूसरी ओर कार्मिकों को कार्य करने के लिए एक बेहतर वातावरण उपलब्ध हुआ है।	
02	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी कुमाऊँ सम्भाग तथा उपायुक्त हल्द्वानी के कार्यालय भवन का निर्माण।	खाद्य विभाग के कुमाऊँ सम्भाग के सम्भागीय स्तर के कार्यों को एक परिसर में स्थानान्तरित करते हुये शासकीय कार्य सम्पादन हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाना।	—	60	150	146.24	सम्भागीय कार्यालय भवन का निर्माण।	01 कार्यालय भवन के निर्माण कराये जाने से कार्यालय प्रबन्धन में सुविधा होगी तथा कर्मचारियों के कार्य कुशलता में गुणात्मक सुधार होगा।	03 वर्ष
03	गोदामों का निर्माण	खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु खाद्यान्न गोदामों का निर्माण खाद्यान्न/चीनी के वैज्ञानिक ढंग से गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण कराया जाना।	—	100	300	300	02 खाद्यान्न गोदामों का निर्माण जिनमें से 01 गोदाम 2000 मी०टन क्षमता का तथा 01 गोदाम 200 मी०टन क्षमता के है।	02 खाद्यान्न गोदामों का निर्माण कराया गया इससे खाद्यान्नों के रखरखाव एवं प्रबन्धन में गुणात्मक सुधार हुआ है। फलस्वरूप खाद्यान्न की प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतियों में कमी आयी है।	02 वर्ष

([illegible])
वित्त नियंत्रक।

Scanned by CamScanner

क्रमांक	SDG संकेतक	1-4-2016 की स्थिति (बेसलाइन स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (प्रतिशत)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
1	2	3	4	5	6
1	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रू0 5000 से कम आय वाले ग्रामीण परिवारों का कुल ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अनुपात।	1:2	1:2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रू0 5000 से कम आय वाले ग्रामीण परिवारों को भारत सरकार के द्वारा दिये गये लक्ष्य 61.94 लाख जनसंख्या के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 65.26 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 52.05 प्रतिशत जनसंख्या में सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना में परिवार की वरिष्ठतम महिला को मुखिया मानते हुए उनके नाम राशन कार्ड जारी किया गया। अनुमानित रूप से रू0 5000 से कम आय वाले लगभग 40 लाख ग्रामीण जनसंख्या (लगभग 8 लाख परिवार) को अत्यन्त सस्ती दरों पर खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लागू होने के फलस्वरूप एक ओर जहाँ 61.94 लाख जनसंख्या इस योजना से लाभान्वित हुयी। उक्त योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा प्राथमिक परिवार में सम्मिलित लाभार्थी को सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया करायी जा रही है। उक्त के कारण निर्धन एवं गरीब परिवारों को खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी तथा खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता के कारण बाजार में कीमतों की औसतों पर नियन्त्रण रहा।
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पीडीएस/राशन कार्डों में शामिल एएवाई/अन्त्योदय अन्न योजना का प्रतिशत	7.8%	7.8%	राज्य में कुल राशन कार्डधारकों की संख्या–2373040 राज्य में अन्त्योदय कार्ड धारकों की संख्या–184197 (7.8%)	प्रदेश के 1.84 लाख निर्धनतम परिवारों को अत्यन्त सस्ती दरों पर प्रतिकार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (13.300 किग्रा0 गेहूं रू0 2 प्रति किग्रा0 एवं 21.700 किग्रा0 चावल रू0 3 प्रति किग्रा0) उपलब्ध कराया जा रहा है।
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कुल पीडीएस/राशन कार्डों में शामिल प्राथमिक परिवारों का प्रतिशत।	48.90%	48.90%	राज्य में कुल राशन कार्डधारकों की संख्या–2373040 राज्य में प्राथमिक परिवार के अन्तर्गत कार्ड धारकों की संख्या–1160443 (48.90%)	प्रदेश के 11.60 लाख परिवारों को अत्यन्त सस्ती दरों पर प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02.00 किग्रा0 गेहूं रू0 2 प्रति किग्रा0 एवं 03.00 किग्रा0 चावल रू0 3 प्रति किग्रा0) उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना में पूर्व के अन्त्योदय तथा बीपीएल/एपीएल के अन्तर्गत सस्ती दरों पर प्रदेश में केवल 6 लाख लाभान्वित परिवारों के अतिरिक्त लगभग 8 लाख परिवारों को अत्यन्त सस्ती दरों पर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कुल जनसंख्या के सापेक्ष शामिल जनसंख्या का प्रतिशत।	61.30%	61.30%	राज्य में कुल जनसंख्या–1.01 करोड़ भारत सरकार द्वारा जारी लक्ष्य–6194000 (61.30%) Fix by GOI	भारत सरकार द्वारा प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश की कुल 61.94 लाख जनसंख्या को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा प्राथमिक परिवार में सम्मिलित लाभार्थी को सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया करायी जा रही

Scanned by CamScanner

					है। जिससे राज्य के निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को बाजार की मंहगी दरों/कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सका। साथ ही सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता से बाजार में भी अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य नियंत्रण स्थापित करने में मदद हुई।
6	खाद्यान्न का आवंटन के सापेक्ष उठान।	100 %	100 %	कुल मासिक आवंटन–41916.020 मीट्रिक टन उठान–100% Fix by GOI	भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं टाईड ओवर योजना के अन्तर्गत कुल 41916.020 मीट्रिक टन मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा है। जिसका शत-प्रतिशत उठान करते हुए वितरण किया जा रहा है।
6	कुल हाउसहोल्ड के सापेक्ष एलपीजी उपयोग कर रहे परिवारों का प्रतिशत।	100 %	120 %	गैस विहीन निर्धन परिवारों को गैस कनेक्शन हेतु अनुदान उपलब्ध भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित अन्त्योदय प्राथमिक परिवारों तथा 2,50,000.00 तक वार्षिक आय वाले बिना गैस कनेक्शन धारियों को धुआं मुक्त रसोई व केरोसीन मुक्त राज्य हेतु राज्य उज्ज्वला दिनांक 31.10.2017 को प्रारम्भ की गयी। राज्य में वर्तमान में कुल 2638016 गैस कनेक्शन है तथा इनमें से 404713 कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं 7740 कनेक्शन राज्य उज्ज्वला योजना से सम्मिलित किया गया है।	राज्य के 2638016 गैस कनेक्शन धारकों को धुआं रहित ईंधन उपलब्ध कराये जाने से प्रत्येक परिवार को रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हुई तथा घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं को धुआंरहित ईंधन उपलब्ध कराया जा सका जिसके फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव हुआ है।

4.3.2020

Scanned by CamScanner

खेल विभाग

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**निदेशन तथा प्रशासन**	खेल विभाग से संबंधित समस्त कार्यों के सम्पादन एवं नियंत्रण तथा विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु खेल निदेशालय की स्थापना।	772.43	–	101 पद	227 पद	खेल विभाग के अधिष्ठान के अन्तर्गत स्वीकृत कुल पदों 227 के वेतन हेतु	खेलों के प्रोत्साहन एवं खिलाडियों में खेलों हेतु अभिरूचि लाना।	–
2	**104–खेलकूद 03–भूतपूर्व प्रसिद्व खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता**	भूतपूर्व खिलाड़ियों को उनकी विगत खेल उपलब्धियों एवं उनके योगदान को सम्मान देने के साथ ही उनके भावी जीवन को आर्थिक रूप से सुखद बनाना एवं युवा खिलाड़ियों प्रोत्साहन।	5.00	–	–	150 खिलाड़ी को पेंशन	150 खिलाड़ी को पेंशन	आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना। 150 खिलाड़ी	03 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**05–क्रीड़ागनों का विकास**	खिलाड़ियों को मानकों के अनुसार सुसज्जित खेल सुविधायें उपलब्ध कराना।	26.00	–	15 स्टेडियम/ बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल	15 स्टेडियम/ बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल	15 स्टेडियम/ बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल	निर्मित/स्थापित स्टेडियमों को अधिक से अधिक सुसज्जित खेल सुविधायें तैयार कर खिलाड़ियों को उपलब्ध कराना। 15 स्टेडियम/क्रीड़ा हॉल	05 वर्ष
4	**07–विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार**	विशिष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के साथ ही अन्य प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना	60.00	–	–	04 (02 खिलाड़ी एवं 02 प्रशिक्षक) को प्रदेशीय पुरस्कार	06 (04 खिलाड़ी एवं 02 प्रशिक्षक)	प्रदेश के अधिक से अधिक विशिष्ट खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करना 06 (04 खिलाड़ी एवं 02 प्रशिक्षक	02 वर्ष
5	**08–नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान**	साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहियों को विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान करना।	1100.00	–	791 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया गया।	1000 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया गया।	01 संस्थान 948 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।	अधिक से अधिक जनमानस को साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहण से जोड़ना। 948 प्रशिक्षणार्थी	05 वर्ष
6	**10–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार**	खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के साथ–साथ उनकी आर्थिक सहायता करना।	150.00	–	280 खिलाड़ी/ प्रशिक्षक	300 खिलाड़ी/ प्रशिक्षक	300 खिलाड़ी	प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु प्रेरित करना। 300 खिलाड़ी	05 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**11–राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था**	टीम की एकरूपता, अनुशासन एवं राज्य की विशेष पहचान बनाना।	70.00	–	–	1500 खिलाड़ी	1500 खिलाड़ी	प्रदेश की विशेष पहचान बनाना। 1500 खिलाड़ी	03 वर्ष
8	**12–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिता के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान**	खेल संस्कृति को बढ़ावा देना एवं अधिकाधिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु संघों को प्रोत्साहित करना।	50.00	–	01 क्रीड़ा संघ/क्लब/ संस्था	30 क्रीड़ा संघ/क्लब/ संस्था	30 क्रीड़ा संघ/क्लब/ संस्था	प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से क्रीड़ा संघों को प्रतियोगिताओं के आयोजनार्थ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। 30 क्रीड़ा संघ/क्लब/ संस्था	10 वर्ष
9	**13–स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान**	प्रारम्भिक अवस्था से ही बालकों को खेल कौशल में वृद्धि करने हेतु मजबूत आधार तैयार करना।	565.00	–	01 संस्थान 280 खिलाड़ी	01 संस्थान 308 खिलाड़ी	01 संस्थान 330 खिलाड़ी	प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में खेल की विशेष सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करना। 01 संस्थान 330 खिलाडी	05 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**14–प्रतियोगिताओं का आयोजन**	खिलाड़ियों को खेल कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन हेतु।	15.00	–	–	2000 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी)	2000 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी)	खिलाड़ियों को खेल कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन हेतु। 2000 खिलाड़ी	05 वर्ष
11	**15–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन**	अधिकाधिक खिलाड़ियों को शारीरिक एवं तकनीकी दक्षता प्रदान करने हेतु मजबूत आधार तैयार करना।	15.00	–	–	2000 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी)	2000 खिलाड़ी (विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे।)	खिलाड़ियों के खेल में निखार लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर में अधिक से अधिक प्रतिभाग कराने के साथ ही उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना। 2000 खिलाड़ी	05 वर्ष
12	**16–स्थाई क्रीड़ा उपकरण का क्रय**	नवीन तकनीकी के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खेल उपकरण उपलब्ध कराना।	22.00	–	13 जनपद	13 जनपद	13 जनपद	खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेल सुविधा प्रदान कर उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनाना। 13 जनपद	05 वर्ष
13	**21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं**	खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करना, जिन्हें अन्य किन्हीं स्रोतों से आर्थिक सहायता न मिलती हो एवं मनोबल बनाने हेतु।	60.00	–	52 खिलाड़ी/ प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।	200 खिलाड़ी/ प्रशिक्षक	200 खिलाड़ी/ प्रशिक्षक	प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना। 200 खिलाड़ी/प्रशिक्षक	05 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**22–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता**	खेलों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से संघों को आर्थिक रूप से सबल बनाना।	17.60	–	15 प्रदे0 क्रीड़ा संघ	25 प्रदे0 क्रीड़ा संघ	25 प्रदे0 क्रीड़ा संघ	प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के विभिन्न खेलों में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने के साथ ही प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना। 25 प्रदे0 क्रीड़ा संघ	05 वर्ष
15	**24–सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता**	राज्य के कार्मिक खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनमें खेल भावना का प्रसार करना।	12.00	–	109 खिलाड़ी	150 खिलाड़ी	150 खिलाड़ी	राज्य के कार्मिक को खेल संस्कृति से जोड़ने के साथ–साथ अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना। 150 खिलाड़ी	05 वर्ष
16	**28–सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट**	राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को सामुदायिक खेल गतिविधियों एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने हेतु।	0.01	–	–	–	–	–	–

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**29–उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति**	राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना।	4.00	–	–	–	10 खि0	अधिक से अधिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना। 10 खि0	10 वर्ष
18	**30–पं0 नैनसिंह सर्वेयर माउण्टेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र**	राज्य के खिलाड़ियों को साहसिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	82.00	–	01 संस्थान 60 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया	01 संस्थान 100 खिलाड़ी	01 संस्थान 100 खिलाड़ी	अधिक से अधिक जनमानस को साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहण से जोड़ना। 01 संस्थान 100 खिलाड़ी	05 वर्ष
19	**31–38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजनार्थ**	राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु।	2000.00	–	–	–	01 राष्ट्रीय खेल	राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिता को देखने का अवसर प्रदान करना एवं अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करना 01 राष्ट्रीय खेल	02 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	**32–पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज**	प्रारम्भिक अवस्था से ही बालकों को खेल कौशल में वृद्धि करने हेतु मजबूत आधार तैयार करना।	89.60	–	01 संस्थान 30 खिलाड़ी	01 संस्थान 36 खिलाड़ी	01 संस्थान 36 खिलाड़ी	प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल की विशेष सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करना। 01 संस्थान	05 वर्ष
21	**33–38वें राष्ट्रीय खेलों से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर**	38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग कराने से पूर्व खिलाड़ियों को तकनीकी गहन प्रशिक्षण प्रदान करना।	500.00	–	–	–	200 खिलाड़ी	राष्ट्रीय खेल में अधिक से अधिक पदक प्राप्त करना। 200 खिलाड़ी	02 वर्ष
22	**34– स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थापित आईस स्कैटिंग रिंक का संचालन**	आईस स्केटिंग रिंक का संचालन करना	0.01	–	–	–	–	–	–
23	**36–निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना**	निजी अकादमियों के समन्वय कर खेल प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना।	25.00	–	–	–	–	प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने के साथ ही प्रदेश का नाम गौरवान्वित कराना।	02 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	**0106–खेलों इंडिया**	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें विकसित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना।	–	–	02 स्टेडियम/ इंडोर हॉल का निर्माण	02 स्टेडियम/ इंडोर हॉल का निर्माण	02 स्टेडियम/इंडोर हॉल का निर्माण	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें विकसित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ ही अधिक पदक प्राप्त कराना। 02 स्टेडियम/इंडोर हॉल का निर्माण	01 वर्ष
25	**0107–राष्ट्रीय खेलों हेतु भारत सरकार से अनुदान**	राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण आदि	–	4000.00	–	20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/ विस्तारीकरण	20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/ विस्तारीकरण	देश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य का नाम रोशन कराना। 20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/ विस्तारीकरण	01 वर्ष
26	**04–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नये कार्य)**	नये खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	–	300.00	–	04 स्टेडियम	04 स्टेडियम	प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय खेल अव.स्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना। 04 स्टेडियम	01 वर्ष
27	**05–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)**	निर्माणाधीन खेल अवस्थापना सुविधाओं को त्वरित गति से पूर्ण कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना।	–	1000.00	01 स्टेडियम	03 स्टेडियम	03 स्टेडियम	–तदैव– 03 स्टेडियम	02 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	**06 –सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना**	राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवंउनके पारिवारिक सदस्यों को सामुदायिक खेल गतिविधियों एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने हेतु।	–	–	–	–	01 संस्थान	राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को खेल संस्कृति से जोड़ने तथा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से। 01 संस्थान	–
29	**08–खेल निदेशालय की स्थापना**	राज्य में खेल स्थापना एवं प्रशासनिकव्यवस्था प्रदान करना।	–	0.01	–	–	–	–	–
30	**09–अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण**	स्थापित खेल अवस्थापना सुविधाओं को खेल के अनुरूप सुव्यवस्थित रखना।	–	100.00	03 अवस्थापना सुविधा	07 अवस्थापना सुविधा	07 अवस्थापना सुविधा	सृजित खेल अवस्थापना सुविधाओं को सुव्यवस्थित रखकर खिलाड़ियों को अच्छी खेल सुविधा उपलब्ध कराना। 07 अवस्थापना सुविधा	01 वर्ष
31	**13–देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण**	स्पोर्ट्स कॉलेज में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें प्रदान करने हेतु खेल अवस्थापनाओं का सृजन	–	300.00	01 संस्थान	01 संस्थान	01 संस्थान	खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी खेल सुविधा उपलब्ध कराना। 01 संस्थान	05 वर्ष
32	**14–पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण**	स्पोर्ट्स कॉलेज में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें प्रदान करने हेतु खेल अवस्थापनाओं का सृजन	–	500.00	01 संस्थान	01 संस्थान	01 संस्थान	प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रदेश के बालक/बालिकाओं को खेल विशेष में प्रशिक्षित कर उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनाना। 01 संस्थान	05 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	**17– अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकट स्टेडियम का निर्माण**	राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करने हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	–	0.01	–	–	–	प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय खेल अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना।	
34	**18–विशेष आयोजनागत सहायता**	राज्य में उच्चस्तरीय खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	–	0.01	–	01 इन्डोर स्टेडियम	04 स्टेडियम	प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय खेल अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना। 04 स्टेडियम	03 वर्ष
35	**19–हल्द्वानी स्टेडियम (फेज–2)**	राज्य में राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाऐं प्रदान करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	–	0.01	01 स्टेडियम	01 स्टेडियम	01 स्टेडियम	तदैव	05 वर्ष
36	**20–पवेलियन ग्राउण्ड में निर्माण**	उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं का सृजन।	–	0.01	–	01 खेल मैदान	01 खेल मैदान	राज्य मुख्यालय में अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराकर सफलता अर्जित करना 01 खेल मैदान	–

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	**24–पं0 नैनसिंह सर्वेयर माउण्टेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना**	राज्य के खिलाड़ियों को साहसिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	–	–	01 संस्थान	01 संस्थान	01 संस्थान	अधिक से अधिक जनमानस को साहसिक खेलों एवं पर्वतारोहण से जोड़ना। 01 संस्थान	05 वर्ष
38	**31–38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन (निर्माण)**	वर्ष 2018 में राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु	–	3000.00	11 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/विस्तारीकरण	20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/विस्तारीकरण	20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/विस्तारीकरण	देश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य का नाम रोशन कराना। 20 खेलों की खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/विस्तारीकरण	02 वर्ष
2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं									
104–खेलकूद 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान									
39	**0201– प्रतियोगिताओं का आयोजन**	अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना।	10.00	–	2082 खिलाड़ी	2000 खिलाड़ी	2000 खिलाड़ी	प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल संस्कृति की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के साथ ही खेल में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना। 2000 खिलाड़ी	10 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	**0202–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन**	अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु खेल विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना।	10.00	–	466 खिलाड़ी	1000 खिलाड़ी	1000 खिलाड़ी	प्रदेश के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान कर खेल की नवीन तकनीकी प्रदान करना। 1000 खिलाड़ी	05 वर्ष
4202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय **03–खेलकूद तथा युवा सेवाएं** **102–खेलकूद स्टेडियम**									
41	**03–इंडोरहॉल व हॉस्टल का निर्माण**	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधायें उपलब्ध कराना।	–	100.00	–	01 इंडोर हॉल/ हॉस्टल	01 इंडोर हॉल/ हॉस्टल	प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना। 01 इंडोर हॉल/ हॉस्टल	10 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं **796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**									
42	**02–प्रतियोगिताओं का आयोजन**	अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों हेतु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना।	20.00	–	963 खिलाड़ी	1000 खिलाड़ी	1000 खिलाड़ी	प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल संस्कृति की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के साथ ही खेल में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना। 1000 खिलाड़ी	03 वर्ष
43	**03–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन**	अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों हेतु खेल विशेष में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर खेल की मुख्य धारा से जोड़ना।	10.00	–	317 खिलाड़ी	1000 खिलाड़ी	1000 खिलाड़ी	प्रदेश के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान कर खेल की नवीन तकनीकी प्रदान करना। 1000 खिलाड़ी	03 वर्ष
4202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय									
03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम **102–खेलकूद स्टेडियम**									
44	**03–इंडोरहॉल व हॉस्टल का निर्माण**	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधायें उपलब्ध कराना।	–	100.00	01 इंडोर हॉल/ हॉस्टल	02 इंडोर हॉल/ हॉस्टल	02 इंडोर हॉल/ हॉस्टल	प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने हेतु तैयार करना। 02 इंडोर हॉल/ हॉस्टल	5 वर्ष

सतत विकास लक्ष्य :–

क्र. सं.	SDG संकेतक	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ग्राम्य विकास विभाग

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्र पोषित योजना									
1	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)	समस्त ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया कराना है, उस समय तक उनका पोषण एवं संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से उपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगे	6600.00	--	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 22050 ग्राम संगठन की स्थापना– 1087 कलस्टर लेबिल फैडरेशन –34 बुक कीपर प्रशिक्षण– 6000 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–100 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 22050 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 15122 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 4750 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 5218	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 8054 ग्राम संगठन की स्थापना– 1000 कलस्टर लेबिल फैडरेशन –60 बुक कीपर प्रशिक्षण– 6000 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–100 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 6000 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 5950 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 5500 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 7610	• स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 1500 • ग्राम संगठन की स्थापना– 1000 • कलस्टर लेबिल फैडरेशन –60 • बुक कीपर प्रशिक्षण–1500 • आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–240 • स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 1500 • स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 7000 • स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 2600 • स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 5000	6000 स्वयं सहायता समूहों के 40000 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।	**मार्च, 2021**
1.1	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)– स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करके गांवों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना ओर गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करना।			• प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। • सी.आर.पी.ई.पी. चयन • बी.आर.सी. कार्यायल स्थापना	•	• ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 324 प्रथम चरण के विकासखण्डों में। • बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में।	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 1524	**मार्च, 2021**
1.2	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)– महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में व्यवस्थित निवेश करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना है ताकि उनकी भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकें ओर साथ ही ग्रामीण महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका सृजित किया जा सकें ओर उसे जारी रखा जा सकें।			• प्रथम चरण में 16000 महिला किसानों का चयन • लोकल ग्रुप –800 • कृषि सखी–150 • पशु सखी–30 सी.एच.सी.–50		––	16000 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन किया जायेगा।	**मार्च, 2021**
2	दीनदयाल उपाध्याय	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर	1800.00	––	5000 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 2057	14484 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 6000	• 16,000 युवक–युवतियों का	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों के	**मार्च 2021**

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ग्रामीण कौशल योजना	सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना।			युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है।	युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा।	प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा। ● कम से कम 10000 युवक–युवतियों को विभिन्न सेवा सेक्टर में आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराना।	सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत् रुप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन करना है।	
3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के अन्तर्गत चयनित क्लस्टरों में विकास	अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रर्बन गांवों ' के रूप मे. विकसित करना'	1000.00	––	फेज–1 के जनपद हरिद्वार के भगतनपुर –आबिदपुर एवं देहरादून के रानीपोखरी कलस्टरों एवं फेज–2 के जनपद टिहरी के धनौल्टी तथा उत्तरकाशी के डुण्डा कलस्टर में कार्य किये जा रहे। फेज–3 के कलस्टर जनपद उ0 सिह नगर के पहेनिया तथा जनपद वागेश्वर के कौशानी की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।	फेज–1, 2 तथा 3 के अर्न्तगत चयनित सभी कलस्टरों में कार्य प्रारंम्भ कर लिये जायेगे।	योजना के तहत् अवस्थापना सेक्टर जैसे सडक निर्माण, शौचालय निर्माण, स्कूल भवन की मरम्मत, पेयजल योजना का निर्माण, कृषि की योजना, पर्यटन की योजना का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमे.ट, स्टीट लाईट लगना, बागवानी आदि के कार्यो का क्रियान्वयन, शेष रुर्बन कलस्टरों में आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ कर लिये जायेगें।	रुर्बन कलस्टरों में आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास के दृष्टिगत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा आजीविका सृजन कार्यक्रम, अवस्थापना विकास।	**3 वर्ष**
4	डी0आर0डी0ए0 प्रशासनिक मद	डी0आर0डी0ए0 के अर्न्तगत गठित गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों/ अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जाना	1000.00	––	––	––	गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के कर्मचारी / अधिकारी– **161**	गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ / डी0आर0डी0ए0 के **161** कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु	**मार्च, 2021**
5	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार गारंटी। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना। सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना। पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।	26628.00	––	221.82 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 4.89 लाख परिवारों के 6.39 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 26013 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान	215.00 लाख मानव दिवस सृजित कर लिये जायेंगे।	कुल 200.00 लाख मानव दिवसो का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ` 608.77 करोड़ का व्यय किया जायेगा	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 200.00 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 59736 कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन – कुल 15641 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।	**मार्च, 2021**

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					किया।				
6	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण	SECC 2011 डाटा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में पीएमएवाई–जी हेतु पात्र पाये गये सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना।	14900.00	––	12615 आवास स्वीकृत तथा 11589 आवास पूर्ण किये गये	771 आवास पूर्ण किये जायेगे।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लक्ष्य अप्राप्त है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएमएवाई–जी अन्तर्गत पात्रता सूची से छूटे हुए 94283 परिवारों का पंजीकरण आवास प्लस के माध्यम से किया गया है। उक्त वर्णित परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 15000 का लक्ष्य प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसकी पूर्ति हेतु कुल रू0 20280.00 लाख की आवश्यकता होगी।	SECC-2011 के सर्वेक्षण के ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।	आवास स्वीकृत की तिथि से 01वर्ष
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों (कोर नेटवर्क)को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है।	--	90000.02	योजना के अन्तर्गत 1124.00 किमी0 मार्गो का निर्माण किया गया तथा 1364 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	योजना के अन्तर्गत 13624.00 किमी0 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जायेगा तथा 1589 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जायेगी।	4500.00 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया जना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की 250 असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	**मार्च, 2021**
8	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयत्रों की स्थापना किया जाना।	0.03	--	योजनान्तर्गत 600 बायोगैस संयत्र स्थापित किये गये।	योजनान्तर्गत 800 बायोगैस संयत्र स्थापित किये जायेगे।	800 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी	800 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति करते हुये महिलाओं के स्वास्थय में गुणात्मक सुधार एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जायेगा।	**मार्च, 2021**
9	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी)	राज्य के 5 सीमान्त जिलो के विकास हेतु	--	3500.00	वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 349 कार्य पूर्ण किये गये शेष कार्य गतिमान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 मे 25 कार्य पूर्ण कर लिये गये थे।	वित्तीय वर्ष 2017–18 के सभी कार्य पूर्ण कर लिये जायेगें साथ ही वित्तीय वर्ष 2018–19 में 60 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण कर लिये जायेगें।	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा–सम्पर्क मार्ग, पेय जल में कुल स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 35 प्रतिशत, स्वास्थ्य में न्यूनतम 10 प्रतिशत, कृषि में अधिकतम 10 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र सेक्टर में अधिकतम 15	सीमान्त विकास खण्डो (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की	1 वर्ष

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							प्रतिशत, क्षमता विकास न्यूनतम 10 प्रतिशत शिक्षा में न्यूनतम 10 प्रतिशत, खेलकूद में न्यूनतम प्रतिशत 10 प्रतिशत धनराशि तक के कार्यो का क्रियान्वयन किया जायेगा।	उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	
10	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	विभिन्न विभिन्न स्वंय सहायता समूहो, महिला मंगल दल के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश।	20.00	--	वित्तीय वर्ष 2018–19 में 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष प्राप्त धनराशि से आयोजित किये गये जिसमें 1308 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।	31 जनवरी, 2020 तक 51 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1703 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक 65 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 2053 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने प्रस्तावित हैं।	लगभग 50–60 प्रशिक्षण देकर 1800 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, जलागम विकास सम्बंधी प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहो, महिला मंगल दल के सदस्यों हेतु आय सर्जन गतिविधियों हेतु बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना।	**मार्च,. 2021**
राज्य पोषित योजना									
1	विधायक निधि	प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	--	26625.00	13946 कार्य पूर्ण किये गये।	13855 कार्य पूर्ण किये जायेगे।	क्षेत्रीय असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुये मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य किये जायेगें।	मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत योजनाओं/कार्य की स्वीकृति के पश्चात स्थानी स्तर पर विभिन्न विकास सम्बंधी मूलभूत आवश्कताओं एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा।	**मार्च, 2021**
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एन.पी.वी.)	वनभूमि प्रत्यावर्तन, क्षतिपूरक, वृक्षारोपण, वृक्षों के पातन एवं ढुलान निजी भूमि अर्जन, क्षतिग्रस्त शासकीय एवं निजी परिसम्पत्तियों का प्रतिकर किया जाना है।	--	7127.00	616 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी भूमि का भुगतान तथा मार्गों की निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया गया है।	705 मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी भूमि का भुगतान किया जाना है एवं मार्गों की निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।	111 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी का भुगतान एवं मार्गों की निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की 250 असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	**मार्च, 2021**
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (आधिक्य भुगतान)	निविदाएं/विचलन आदि मदों हेतु	--	4604.00	75 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया गया है।	90 मार्गो का निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा।	15 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	तदैव	**मार्च, 2021**
4	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गो के	योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु	3900.00	––	2970.00 किमी0 लम्बें पूर्ण मार्गो का अनुरक्षण गया है।	3771.00 किमी लम्बाई के पूर्ण मार्गों का अनुरक्षण किया जायेगा।	5000.00 किमी0 लम्बें पूर्ण मार्गो का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावति है।	योजना अन्तर्गत निर्मित मार्गो का अनुरक्षण किया जाना हैं जिससे निर्मित मार्गो पर यातायात को	**मार्च, 2021**

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुरक्षण का भुगतान							सुचारु रखा जा सके।	
5	पी.एम.जी.एस. वाई के अर्न्तगत सैटेज चार्ज तथा पी.एम.सी. का भुगतान	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन.पी.सी.सी. के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्ड की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु	1500.00	--	योजना के अर्न्तगत कार्यो के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन.पी.सी.सी. के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्ड की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान किया गया है।	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन.पी.सी.सी. के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्ड की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान किया जायेगा।	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों को समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों को समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज का भुगतान किया जाना है।	**मार्च, 2021**
6	यू.आर.आर.डी.ए. के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाऐं	जनपद पिथौरागढ़ में 13 ग्रामीण मार्गों का निर्माण किय जाना है।	--	500.00	जनपद पिथौरागढ के धारचूला में 85.00 किमी0 लम्बें मार्गो का निर्माण पूर्ण किया गया।	जनपद पिथौरागढ के धारचूला में 89.00 किमी0 लम्बें मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।	जनपद पिथौरागढ के धारचूला में 13.00 किमी0 लम्बें मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	जनपद पिथौरागढ के धारचूला में असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	**मार्च, 2021**
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपातकालीन निधि	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गो में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गो के अवरूद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते है। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गो की मरम्मत/Restoration के कार्य भी कराने हेतु।	––	1000.00	–	वर्ममान में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत Restoration के कार्य कराने हेतु 92 कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं।	दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त 120 मार्गो की मरम्मत/Restoration के कार्य किये जाने हैं।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गो में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गो के अवरूद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते है। जिससे मार्गो पर यातायात को सुचारु रखा जा सके।	**मार्च, 2021**
8	दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे अनु0जाति, जनजाति एवं सामान्य जाति के ऐसे परिवार जिनके आवास कच्ची दीवारें, अ़र्द्धपक्की पन्नी से ढकी हों को लाभान्वित किया जाना है।	0.03	--	––	––	––	––	––
9	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर विकास विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों/	40.00	--	––	31 दिसम्बर, 2019 तक 67 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते	लगभग 130 प्रशिक्षण देकर पंचायतीराज प्रतिनिधियों एवं	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि	**मार्च, 2021**

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्रशिक्षण हेतु अनुदान	कर्मचारियों एवं परियोजना से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार एवं स्वरोज़गार परक कार्यक्रमों, जलागम, आई.सी. डी.एस. सम्बन्धी कार्यक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।				हुए 3124 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक 93 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1953 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने प्रस्तावित हैं।	विभिन्न राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिससे कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	
10	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/ अनावासीय भवन निर्माण	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सृजन	--	30.00	रू. 15.00 लाख व्यय किया गया है। प्रसार प्रशिक्षण के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।	प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन के निर्माण हेतु।	प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन का निर्माण से कार्मिकों को बेहत्तर कार्य वाावरण उपलब्ध होगा।	**मार्च, 2021**
11	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण की स्थापना	एस0आई0आर0डी0 के कार्यालय भवन आदि का निर्माण	--	50.00	वित्तीय वर्ष 2018–19 संस्थान परिसर में अवस्थित आवासीय भवनों की बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई एवं रखरखाव का कार्य किया गया है ।	इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनावासीय भवनों में मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।	राज्य सरकार से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करते हुए संस्थान के अनावासीय एवं आवासीय भवनों का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है ।	संस्थान परिसर में अवस्थित आवासीय भवनों की बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई से भवनों का उचित रखरखाव होगा।	**मार्च, 2021**
12	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के विभिन्न अधिकारियों एवं लिपिक/लेखा संवर्गीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	50.00	--	वित्तीय वर्ष 2018–19 में 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें लगभग 251 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।	31 जनवरी, 2020 तक 13 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 330 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक 20 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 610 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने प्रस्तावित हैं।	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावानुसार अवमुक्त धनराशि से 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेगें जिसमें लगभग 1500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, जलागम विकास सम्बंधी प्रशिक्षण एवं नयी योजनाओं के संचालन, कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	**मार्च, 2021**
13	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम	संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन भत्तों हेतु	90.00	--	वित्तीय वर्ष 2018–19 में लगभग 44 कार्मिकों के वेतन भत्तों के सापेक्ष ` 76.00 लाख व्यय किया गया था जिसके सापेक्ष `18.00 लाख भारत सरकार एवं `58.00लाख राज्य सरकार का व्यय हुआ था।	गैर शैक्षणिक कार्मिकों हेतु भारत सरकार के अतिरिक्ति वर्ष 2019–20 में लगभग 43 कार्मिकों के वेतन–भत्तों के सापेक्ष प्राप्त धनराशि ` 69.98 व्यय की जानी प्रस्तावित है।	संस्थान में लगभग प्रतिनियुक्ति, नियमित पदो के सापेक्ष संविदा एवं स्वीकृत अन्य पदों के सापेक्ष आउटसोर्स सहित कुल 43 कार्मिक कार्यरत है।	––	**मार्च, 2021**
14	उत्तराखण्ड सीमांत एवं	राज्य के 11 जनपदों के 74 अति पिछडे विकास खण्ड़ों के विकास	--	42.63	––	योजनान्तर्गत जनपद अल्मोडा में पूर्ण कराये	––	––	**मार्च, 2021**

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि	हेतु				गये कार्यो के सापेक्ष अवशेष देनदारी का भुगतान किया जाना है।			
15	मेरा गॉव मेरी सड़क	राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पलायन की रोकथाम, आजीविका उपलब्ध कराना तथा गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराना	--	1347.63	57 सड़कें लम्बाई 36.20 किमी० पूर्ण की गयी।	वर्ष 2014–15 व 15–16 की 17 सड़क व वर्ष 2018–196 एवं 19–20 की 21 सड़क कुल 38 सड़कों के सापेक्ष 7 कि०मी० सड़क का निर्माण किया जायेगा।	योजनान्तर्गत प्रति विकासखण्ड 1–1 किमी की दो सडक माहात्मा गॉधी नरेगा के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से बनायी जायेंगी जिसकी 50प्रति0 धनराशि मनरेगा से एवं 50प्रति0 धनराशि मेरा गॉव मेरी सडक से वहन किया जायेगा। योजनान्तर्गत लम्बाई 190 किमी. सडक निर्मित करते हुये 10.20 ला0 मानव दिवस सृजित किये जायेगे।	सडकों के निर्माण से एक ओर जहॉ स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा।	**मार्च, 2021**
16	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	राज्य के सीमान्त जिलों के विकास हेतु गठित प्रकोष्ठ के कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि हेतु	0.01	––	–	––	––	–	
17	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई प्रशासनिक व्यय	ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की मूल्यांकन/ अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय आदि हेतु	30.00	––	–	––	कार्मिकों के नियत वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय भुगतान एवं अतिरिक्त परामर्शी सेवाओं हेतु	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्यय भत्तों का भुगतान	**मार्च, 2021**
18	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	1. सामुदायिक निवेश निधि– एन. आर.एल.एम. कम्पलाइट स्वयं सहायता समूह जिनको डे–एनआरएलएम के अन्तर्गत सूक्ष्म ऋण योजना आधारित सीआईएफ प्राप्त कराया जा चुका हो, ऐसे समूहों को सीआईएफ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा ` 20000.00 उपलब्ध कराई जाती है। 2. नवीन तथा पुर्नगठित स्वयं सहायता समूहों को सीड कैपिटल– के अन्तर्गत एनआरएलएम के तहत गठित/पुर्नगठित स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोले जाने पर राज्य सरकार द्वारा ` 5000.00 प्रति समूह सीड कैपिटल के रूप में दिया जाता है, तथा ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्होनें आजीविका सजृन हेतु बैंक ऋण लिया है तथा वे नियमित रूप से ऋण वापस कर रहे है उन्हें प्रोत्साहन के रूप में व्याज उपादन	710.01	––	––	––	वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के कुल 708 स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफ उपलब्ध कराना। नवीन एवं पुर्नगठित 3989. स्वयं सहायता समूहों को `5000/– सीड कैपिटल उपलब्ध कराया जायेगा। 4000 समूहों को ब्याज उपादान योजना का लाभ दिया जायेगा।	4000 स्वयं सहायता समूहों के 28000 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन में जोडा जायेगा। समूहों की अवस्थापना मद यथा दरी, आलमारी, आदि की सुविधा उपलब्ध होगी।	**मार्च, 2021**

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		दिया जाना है।							
19	विशेष क्षेत्र विकास योजना	पूर्व में जनपद पौड़ी के राठ विकास तथा प्रक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन विभाग को समायोजित कर नयी योजना विशेष क्षेत्र विकास योजना बनायी गयी है। जिसमें पिछडे क्षेत्रों को राज्य की मुख्य विकास धारा से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जोडने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन तथा उद्यमिता विकास किया जाना है।	0.01		–	––	––	––	--
20	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अर्न्तगत सब्सिडी	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसका नाम ''इन्दिरा अम्मा भोजनालय'' हैं उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जायेगी	700.00	-	रू. 221.26लाख की धनराशि अनुदान के रूप में महिला स्वयं सहा. समूहों को प्रदान की गयी।	32 कैंटीनों के माध्यम से लगभग 2178632 व्यक्तियों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।	32 कैंटीनों के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा जिससे स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा। समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध होगा तथा स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा	मार्च, **2021**
21	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	राज्य में हो रहे पलायन की रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु ''ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग'' का गठन किया गया है.	132.89	–	रू. 77.74 लाख मानदेय/वेतन भत्ते एवं कार्यालय/ प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया गया।	04 कार्मिकों के मानदेय, एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि का भुगतान किया जाना है।	मा0 उपाध्यक्ष–01 संविदा कार्मिक–00 आउट सोर्स–03 के मानदेय, एवं वेतन आदि	मा0 सदस्य, अधिकारियों एवं कार्मिकों के मानदेय, वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय का भुगतान	मार्च, 2021
22	ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर (आर.बी.आई.)	ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, व्यवसाय तथा आजीविका सम्बन्धी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में गठित समूहों के सूक्ष्म उद्यम/Startups को बढावा देकर उनके रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु वातावरण तैयार करना।	200.00		––	दो केन्द्रो में हब स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कियान्वयन संस्था चयन हेतु EoI प्रकाशित कर चयन प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।	ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर (आर.बी.आई.) के संचालन हेतु एजेन्सी का चयन कर इनक्यूबेटर की स्थापना की प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।	ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, व्यवसाय तथा आजीविका सम्बन्धी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में गठित समूहों के सूक्ष्म उद्यम/Startups को बढावा देना है।	01 वर्ष
23	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)	पर्वतीय क्षत्रों से हो रहे पलायन को रोकने तथा वहां पर रोजगार के अवसर पैदा किये जाने के उद्देश्य से योजना प्रारमभ की गयी है।		2000.00	––	कार्य गतिमान है।	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा–सम्पर्क मार्ग, पेय जल आदि कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।	सीमान्त विकास खण्डो (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	01 वर्ष
24	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में पालयन की रोकथाम हेतु	1800.00	––	––	––	––	––	01 वर्ष

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आईफैड(बाह्य सहायतित) समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (नयी योजना)	उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में सामुदायिक समूहों हेतु स्थायी रूप से आजीविका साधनों का संबर्द्धन कर गरीबी को कम करना	7307.01	––	**1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि** • कुल ग्रामीण 126620 गरीब परिवारों का आच्छादन • 13650 उत्पादक समूहों की क्षमता वृद्वि • 233 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग • 1768 हेक्टेयर फेसिंग कार्य • 650 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling • 919 हैक्टेयर बंजर/अनउपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षो का का रखरखाव व Gap filling • 164 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना। • परियोजना जनपदों के 17578 नवयुवक/नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम **सहभागी जलागम विकास** • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण,	**1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि** • कुल ग्रामीण 131500 गरीब परिवारों का आच्छादन • 14176 उत्पादक समूहों की क्षमता वृद्वि • 161 अजीविका संघ के 700 उत्पादक समूह सदस्यों की क्षमता वृद्वि • 233 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग • 2175 हेक्टेयर फेसिंग कार्य • 1450 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling • 1450 हैक्टेयर बंजर/अनउपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षो का का रखरखाव व Gap filling • 164 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना। • परियोजना जनपदों के 20500 नवयुवक/नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम **सहभागी जलागम विकास** • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्वि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक	**1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि** • 161 अजीविका संघ के 700 उत्पादक समूह सदस्यों की क्षमता वृद्वि • 233 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग **सहभागी जलागम विकास** • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्वि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक	• 60% farmers reporting increased productivity • 60% federations and LCs operating successfully • 100% increase in farm gate price over baseline • 200 hec fellow land brought under cultivation • 3800 hec area increased in rainfed crop and production • 50 % households assessing loan from financial institution (As project logframe)	मार्च, 2021

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					वृद्धि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग **आजीविका वित्तपोषण** • 1702 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 3086 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 14015 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग	पहुँच विकसित हेतु सहयोग **आजीविका वित्तपोषण** • 2700 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 4086 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 21015 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग	पहुँच विकसित हेतु सहयोग **आजीविका वित्तपोषण** • 1000 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 1000 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 1000 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग		

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित एस.डी.जी. 1, 9

सतत् विकास लक्ष्य

क्र. स..	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
1	2	3	4	5	6	8
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	**Goal-1 Sub-Goal (1.1)** a) Household deprived (SECCs) (lakhs)–Rural- 4.34 b) Propotion of population deprived rural – 4.34 **Sub-Goal (1.2.1)** a) No. of functional SHGs- 27500 b) No of credit Linked SHGs under NRLM - 6963 c) Proportion of population living below the State poverty line –4.34	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 22050 ग्राम संगठन की स्थापना– 1087 कलस्टर लेबिल फैडरेशन –34 बुक कीपर प्रशिक्षण– 6000 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–100 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 22050 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 15122 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 4750 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 5218	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 8054 ग्राम संगठन की स्थापना– 1000 कलस्टर लेबिल फैडरेशन –60 बुक कीपर प्रशिक्षण– 6000 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–100 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 6000 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 5950 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 5500 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 7610	• स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 1500 • ग्राम संगठन की स्थापना– 1000 • कलस्टर लेबिल फैडरेशन –60 • बुक कीपर प्रशिक्षण–1500 • आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–240 • स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 1500 • स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 7000 • स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 2600 • स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 5000	6000 स्वयं सहायता समूहों के 40000 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।
	आजीविका (डे–एन.आर.एल.एम.)– स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	Goal-1 Enterprize establishment-1524	• प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। • सी.आर.पी.ई.पी. चयन • बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना		• ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना–324 प्रथम चरण के विकासखण्डों में। • बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में।	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना–1524
	आजीविका (डे–एन.आर.एल.एम.)– महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	Goal-1 District-4 Block-10 Mahila kisan selection-16000 Local group-800 Kirshi shaki-150 Pashu shaki-30 CHC-50	• प्रथम चरण में 16000 महिला किसानों का चयन • लोकल ग्रुप –800 • कृषि सखी–150 • पशु सखी–30 • सी.एच.सी.–50		––	16000 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका सम्वर्धन किया जायेगा।
2	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	**Goal-1 Sub-Goal (1.1)** c) No.of deprived HHs provided covered skill training programme	5000 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 2057 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका था।	14484 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 6000 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा।	• 16,000 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा। • कम से कम 12000 युवक–युवतियों को विभिन्न सेवा सेक्टर में आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराना।	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत् रुप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन करना है।
4	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	**Goal-1 Sub-Goal (1.3)** a) Percentgage of active jobcard holding	221.82 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 4.89 लाख परिवारों के	215.00 लाख मानव दिवस सृजित कर लिये जायेंगे।	कुल 200.00 लाख मानव दिवसो का सृजन किया जाएगा तथा कुल	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 200.00 लाख

क्र. स..	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
1	2	3	4	5	6	8
		HHs getting employment under MGNREGS- 71.90 b) Avg. days of employment under MGNREGS-45.00	6.39लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 26013 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।		धनराशि ` 608.77 करोड़ का व्यय किया जायेगा	परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 59736 कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन – कुल 15641 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	**Goal-1 Sub-Goal (1.3)** A. SECC-2011 सर्वे के अर्न्तगत उपलब्ध लाभार्थी – 12666 1.Total available beneficiaries at ditrict level as per SECC-2011 for PMAY-G= 12666 2. Total senction house out of available beneficiaries=12615 3. Total house completed against sanction= 12360 c) Percentage of rural HHs have pacca house 98%	12615 आवास स्वीकृत तथा 11589 आवास पूर्ण किये गये	771 आवास पूर्ण किये जायेगे।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लक्ष्य अप्राप्त है।	SECC-2011 के सर्वेक्षण के ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड की धनराशि (नये फण्डिंग पैटर्न के अनुसार 90:10)	**Goal-9 Sub-Goal (9.1)** (a) 9.1 ग्रामीण मार्गो का भौतिक एवं सम्पर्क संयोजन मार्गो का निर्माण (किमी0) बसावटों का संयोजन ;संख्या 225. नई सडकें 1400.00 किमी0 तथा चालू सडकें 1600.00 किमी0 का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। (b) No. of Village link under PMGSY - 225	योजना के अन्तर्गत 1124 किमी0 मार्गो का निर्माण किया गया तथा 1364 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	योजना के अन्तर्गत 13624 किमी0 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जायेगा तथा 1589 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जायेगी।	4500 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया जना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की 250 असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।
1	आईफैड(वाहय सहायतित) एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (नयी योजना)	**Goal-1 Sub-Goal (1.1)** a) Household deprived (SECCs) (lakhs)–Rural- b) Propotion of population deprived rural- c) Number of deprived household provide covered skill deveping programe- **Sub-Goal (1.2.1)** a) No. of functional PGs- b) No of credit Linked PGs 2.25 % of childrens age 6-59 months Who are anemic	**1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि** ● कुल ग्रामीण 126620 गरीब परिवारों का आच्छादन ● 13650 उत्पादक समूहों की क्षमता वृद्वि ● 233 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग ● 1768 हेक्टेयर फेसिंग कार्य ● 650 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling ● 919 हैक्टेयर बंजर/	**1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि** ● कुल ग्रामीण 131500 गरीब परिवारों का आच्छादन ● 14176 उत्पादक समूहों की क्षमता वृद्वि ● 161 अजीविका संघ के 700 उत्पादक समूह सदस्यों की क्षमता वृद्वि ● 233 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की	**खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि** ● 161 अजीविका संघ के 700 उत्पादक समूह सदस्यों की क्षमता वृद्वि ● 233 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्वि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग	● 60% farmers reporting increased productivity ● 60% federations and LCs operating successfully ● 100% increase in farm gate price over baseline ● 200 hec fellow land brought under cultivation ● 3800 hec area increased in rainfed crop and production ● 50 % households assessing loan from financial institution (As project logframe)

क्र. स..	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
1	2	3	4	5	6	8
			अनउपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षो का का रखरखाव व Gap filling • 164 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना। • परियोजना जनपदों के 17578 नवयुवक/ नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम **सहभागी जलागम विकास** • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग **आजीविका वित्तपोषण** • 1702 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 3086 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 14015 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग	बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग • 2175 हेक्टेयर फेसिंग कार्य • 1450 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling • 1450 हैक्टेयर बंजर/ अनउपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षो का का रखरखाव व Gap filling • 164 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना। • परियोजना जनपदों के 20500 नवयुवक/ नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम **सहभागी जलागम विकास** • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग **आजीविका वित्तपोषण** • 2700 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 4086 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 21015 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग	**सहभागी जलागम विकास** • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संद्धर्वन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग **आजीविका वित्तपोषण** • 1000 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 1000 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 1000 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग	

चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020–21 (रूपया लाख में)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01 अप्रैल, 2019 की भौतिक स्थिति	31 मार्च, 2020 की सम्भावित भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020–21	समय–सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
प्रशासन									
1	निदेशन तथा प्रशासन	''सभी के लिए स्वास्थ्य'' विजन पूर्ण करने हेतु मानव संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, औषधि व्यवस्था एवं लोक निजी सहभागिता के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराना।	2252.97	0	कार्यरत मानव संसाधनः– श्रेणी–क–1325 श्रेणी–ख–1993 श्रेणी–ग–9740 श्रेणी–घ–616	कार्यरत मानव संसाधनः– श्रेणी–क–1325 श्रेणी–ख–1993 श्रेणी–ग–9740 श्रेणी–घ–616	प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का उचित कार्यान्वयन एवं सुदृढ प्रशासनिक नियन्त्रण तथा चिकित्सक रोगी अनुपात में सुधार	राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ एवं आसान बनाना तथा सभी के लिए स्वास्थ्य विजन को प्राप्त करना	2020–21
नियोजन									
2	चिकित्सालयों की स्थापना एवं लोक स्वास्थ्य	प्रदेश के आम जनमानस हेतु उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।	45140.03	0	उपकेन्द्र–1897 प्रा0स्वा0केन्द्र–49 अति0प्रा0स्वा0केन्द्र–210 सामु0स्वा0केन्द्र–85 रा0एलो0चिकि0–317 महिला चिकित्सालय–22 जिला चिकित्सालय–13 जिला महिला चिकित्सालय–6 संयुक्त चिकित्सालय–14 बेस चिकित्सालय–3 मानसिक चिकित्सालय–1 महिला चिकित्सालय (शहरी)–1 कुष्ट चिकित्सालय–3 टी0बी0 चिकित्सालय–4 मेला चिकित्सालय–1	जिला चिकित्सालय–13 उप जिला चिकित्सालय–21 सामु0स्वा0केन्द्र–80 प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप–ए–526 प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप–बी–52 अन्य चिकित्सा इकाईयां–24 उपकेन्द्र–1897	उपकेन्द्र–40 प्रा0स्वा0केन्द्र–18 सामु0स्वा0केन्द्र–09 ब्लड बैंक–02 महिला चिकित्सालय की स्थापना–01 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय–01	उपकेन्द्र–40 प्रा0स्वा0केन्द्र–18 सामु0स्वा0केन्द्र–09 ब्लड बैंक–02 महिला चिकित्सालय की स्थापना–01 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय–01	2020–21
निर्माण									

3	निर्माण कार्य	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ/सुदृढ बनाने हेतु चिकित्सालयों/कार्यालयों का निर्माण करना।	0	6250.07	1. रा0एलो0चिकि0– 13 2. सामु0स्वा0केन्द्र– 10 3. सामु0स्वा0केन्द्रों में उच्चीकरण–01 4. सी0एम0ओ0 भवन का निर्माण–01 5. तहसील स्तरीय विशिष्ट सेवा सुविधा निर्माण– 03 6. अनावासीय भवनों मे वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण– 02 7. बेस चिकित्सालय–05 8. आवासीय भवनो का निर्माण–9 9. प्रा0स्वा0केन्द्रों का निर्माण–08 10. ब्लड बैंक –01 11. ट्रॉमा सेन्टर– 01 12. 300 बेडेड चिकित्सालय का निर्माण–01	<u>बजट की उपलब्धता के आधार पर:–</u> 1. शव विच्छेदन गृह–1 2. आवासीय भवनों की व्यवस्था–06 3. अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण, विस्तारीकरण एवं निर्माण–10 4. बेस चिकित्सालय का निर्माण–03 5. मानसिक चिकित्सालय–01 6. प्रा0स्वा0केन्द्र के भवनों का निर्माण–06 7. सामु0स्वा0केन्द्र का निर्माण–04 8. 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय का निर्माण–01	<u>बजट की उपलब्धता के आधार पर:–</u> रा0एलो0चिकि0–2 (धारी डूण्डसीर, हलेथ टिहरी) प्रा0स्वा0केन्द्र–01 (हिसरियाखाल) बेस चिकित्सालय–01 (सिमली) मु0चि0अ0 कार्यालय–01 (रुद्रप्रयाग)	प्रदेश के समस्त नागरिकों को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी आयेगी।	2020–21
					सूचना संचार शिक्षा				
	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाएं एवं उनका प्रचार–प्रसार	"सभी के लिए स्वास्थ्य" विषयक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार रणनीति का क्रियान्वयन।	40154.43	0	विभिन्न माध्यमों यथा–रेडियो, टीवी, **Hordings, Buspanel**, प्रिन्टिंग सामग्री, **DisplayBoard, Translites, Posters, Handbills** के माध्यम से लोक स्वास्थ्य से सम्बन्धित राष्टीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित संदेशों को प्रचारित–प्रसारित किया गया।	विभिन्न माध्यमों यथा–रेडियो, टीवी, **Hordings, Buspanel**, प्रिन्टिंग सामग्री, **DisplayBoard, Translites, Posters, Handbills** के माध्यम से लोक स्वास्थ्य से सम्बन्धित राष्टीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित संदेशों को प्रचारित–प्रसारित किया जाएगा।			2020–21

					लोक निजी सहभागिता				
	लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0)	पर्वतीय/दूर–दराज/असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ/आपातकालीन एवं हृदय रोग से सम्बन्धित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	1600.00	0	02 नेफ्रो डायलिसिस सेंटरों (बेस चिकि0 हल्द्वानी एवं कोरोनेशन देहरादून) में:– कुल–99927 डायलिसिस, (89511 BPL मरीज) तथा 03 कार्डियेक केयर सेंटर बेस अल्मोड़ा/एल0डी0भट्ट चिकि0 काशीपुर/कोरोनेशन देहरादून में 104217–ओ0पी0डी0 1660– सर्जरी	02 नेफ्रो डायलिसिस सेंटरों (बेस चिकि0 हल्द्वानी एवं कोरोनेशन देहरादून) में:– कुल–115000 डायलिसिस (90000 BPL मरीज) तथा 03 कार्डियेक केयर सेंटर बेस अल्मोड़ा/एल0डी0भट्ट चिकि0 काशीपुर/कोरोनेशन देहरादून में 126000–ओ0पी0डी0 2300– सर्जरी	02 नेफ्रो डायलिसिस सेंटरों (बेस चिकि0 हल्द्वानी एवं कोरोनेशन देहरादून) में:– कुल–114847 डायलिसिस, (89329 BPL मरीज) तथा 03 कार्डियेक केयर सेंटर बेस अल्मोड़ा/एल0डी0भट्ट चिकि0 काशीपुर/कोरोनेशन देहरादून में 125554–ओ0पी0डी0 2257– सर्जरी	1–राज्य में तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराना। 2– प्रदेश से बाहर जाने वाले रैफरल केसों में कमी लाना। 3– मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करना। 4.राज्य में उच्च स्तरीय नेफ्रोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराना।	2020–21
					स्वास्थ्य				
	तीर्थ यात्रा/मेले/दैवीय आपदा	तीर्थ यात्रियों को यात्राकाल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना	211.51	0	चार धाम चिकित्सा इकाइयों में लगभग 77491 तीर्थयात्रियों को लाभान्वित किया गया हरिद्वार में जुलाई माह में कांवड़ मेले के दृष्टिगत 4 सेक्टरों (हरिद्वार, रुड़की, बहादराबाद, नारसन) में 13 अस्थाई शिविरों की स्थापना की गयी। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में 04 चिकित्सा सहायता शिविरों का आयोजन किया गया।	चार धाम/विभिन्न मेलों/कैलाश मानसरोवर यात्रा आदि के समस्त अस्वस्थ्य तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।	चार धाम यात्रा/कैलाश मानसरोवर यात्रा/मेले/दैवीय आपदा में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।	प्रदेश में तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी।	2020–21
					राज्य व्याधि निधि				
	राज्य व्याधि सहायता निधि	राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों को चिन्हित घातक रोगों के उपचार/विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा हेतु रु0 1,50,000/– तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	50.00	0	वित्तीय वर्ष 2005–06 से 1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति– बे0पी0एल0 लाभार्थियों की संख्या–1042 आर्थिक सहायता की धनराशि–रु0 128091175/–	बे0पी0एल0 लाभार्थियों की संख्या–1042 आर्थिक सहायता की धनराशि–रु0 128091175/–	बी0पी0एल0 रोगियों का धनाभाव के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।	बी0पी0एल0 रोगियों का धनाभाव के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।	2020–21
					परिवार कल्याण				

	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन	केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।	15417.65	0	नसबंदी – 346 (पुरुष) – 11928 (महिला) कॉपरटी– 51879 ओरलपिल्स वितरित– 26479 निरोध प्रयोगकर्ता–55553	नसबंदी – 250 (पुरुष) – 10000 (महिला) कॉपरटी– 50000 ओरलपिल्स वितरित– 25000 निरोध प्रयोगकर्ता–50000	परिवार कल्याण कायक्रम का सफल संचालन किया जाएगा।	परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण लगाया जा सकेगा।	2020–21
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश)									
	प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम	2030 तक 05 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना।	2411.76	0	BCG- 136114 Pentavalent (1+2+3)- 385512 Polio (OPV 0+1+2+3)- 480997 (IPV 1+2)- 234494 Measle & Rubella (MR 1+2)-257464 MMR-171 TT (1+2)- 251046 DPT (1+2+3) – 1953 Hepatitis B (0+1+2+3)- 75564 Rotavirus (1+2+3) - 1009 प्रतिरक्षण कवरेज–85%	BCG- 136114 Pentavalent (1+2+3)- 385512 Polio (OPV 0+1+2+3)- 480997 (IPV 1+2)- 234494 Measle & Rubella (MR 1+2)-257464 MMR-171 TT (1+2)- 251046 DPT (1+2+3) – 1953 Hepatitis B (0+1+2+3)- 75564 Rotavirus (1+2+3) - 91504 प्रतिरक्षण कवरेज–95%	BCG- 136114 Pentavalent (1+2+3)- 385512 Polio (OPV 0+1+2+3)- 480997 (IPV 1+2)- 234494 Measle & Rubella (MR 1+2)-257464 MMR-171 TT (1+2)- 251046 DPT (1+2+3) – 1953 Hepatitis B (0+1+2+3)- 75564 Rotavirus (1+2+3) - 1009 प्रतिरक्षण कवरेज–95%	शिशु–मृत्यु दर–38/1000 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर–42/1000 प्रतिरक्षण कवरेज–95%	2020–21
	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम	क्षय रोगियों की पहचान, निदान एवं उपचार करना।	2843.15	0	नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर–85 प्रतिशत	नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर–90 प्रतिशत	नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर–90 प्रतिशत	1) टी0बी0 नोटिफिकेशन लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करना2) सफलता दर में 90 प्रतिशत तक सुधार लाना	2020–21

	राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम	कुष्ट रोग की व्यापकता दर प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रति 10000 जनसंख्या पर 1 या 1 से कम करना।	941.43	0	नये खोजे गये रोगी–210 रोगमुक्त रोगी–189 उपचाराधीन रोगी–292 `जटिल एवं रिएक्शन उपचारित रोगी–20	नये खोजे गये रोगी–250 रोगमुक्त रोगी–200 उपचाराधीन रोगी–350 `जटिल एवं रिएक्शन उपचारित रोगी–30	व्यापकता दर–0.26 / 10000 ए0एन0सी0डी0आर0–1. 84 / 100000 जनसंख्या डिफारमिट प्रतिशत–0 महिला प्रतिशत–24.76% चाइल्ड प्रतिशत–2.85% एम0बी0 रोगी–72.38%	व्यापकता दर–0. 26 / 10000 ए0एन0सी0डी0आर0–1. 84 / 100000 जनसंख्या डिफारमिट प्रतिशत–0 महिला प्रतिशत–24.76% चाइल्ड प्रतिशत–2.85% एम0बी0 रोगी–72.38%	2020–21
	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	दृष्टिविहीनता की व्यापक्ता दर को 2020 तक 0.3 प्रतिशत लाना।	1797.39	0	दृष्टिविहीनता व्यापकता दर– 0. 3 प्रतिशत	दृष्टिविहीनता व्यापकता दर– 0. 3 प्रतिशत	दृष्टिविहीनता व्यापकता दर– 0.3 प्रतिशत से कम लाना	दृष्टिविहीनता व्यापकता दर– 0.3 प्रतिशत से कम लाना तथा बनाये रखना	2020–21
	राष्ट्रीय जीवाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1) वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम करना। 2) डेंगू की व्यापकता दर को शून्य बनाए रखना।	1405.07	0	–मलेरिया–388 केस –जापानी इनसिफैलाईटिस–00 –डेगू–591 केस उपचारित –राज्य का वार्षिक पैरासाईट दर–(API)- 0.03 व्यापक प्रचार प्रसार कीटनाशक फॉगिंग, स्प्रे एवं छिड़काव	–मलेरिया–296 केस –जापानी इनसिफैलाईटिस–00 –डेगू–10622 केस उपचारित –राज्य का वार्षिक पैरासाईट दर–(API)- 0.029 व्यापक प्रचार प्रसार कीटनाशक फॉगिंग, स्प्रे एवं छिड़काव	1) वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम करना। 2) डेंगू की व्यापकता दर को शून्य करना।	जीवाणु जनित रोगों के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार करके जनमानस को जागरुक करना तथा कीटनाशक फॉगिंग एवं छिड़काव के माध्यम से जीवाणु जनित रोगों की व्यापकता दर को शुन्य करना।	2020–21
	मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम	मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना	2228.51	0	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कुल संस्थागत प्रसव के लाभार्थियों की संख्या–52427 एवं प्रशिक्षित दाईयों द्वारा कराये गये प्रसव के लाभार्थियों की संख्या–541	मातृ–मृत्यु दर–89 / 100000	मातृ–मृत्यु दर–80 / 100000	मातृ–मृत्यु दर–80 / 100000	
	शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना	5440.93	0	38 / 1000 जीवित जन्म	32 / 1000 जीवित जन्म	30 / 1000 जीवित जन्म	30 / 1000 जीवित जन्म	

	NPCDCS (National **P**rogramme for **C**ontrol of **D**iabetise, **C**ancer and **S**troke**)**	जीवन–शैली तथा आचरण परिर्वतन द्वारा गैर संचारी रोगो की रोकथाम, निदान तथा ईलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न स्तरों पर सुदृढीकरण करना।			जिला वैलनेस सेन्टर मेंः– ओ0पी0डी0–121176 मधुमेह रोग ग्रसित–19794 उच्च रक्तचाप रोगी–23909 फिजियोथैरैपी–19527	दिसम्बर, 2019 तक की स्थितिः– ओ0पी0डी0–92397 मधुमेह रोग ग्रसित–12996 उच्च रक्तचाप रोगी–15320 फिजियोथैरैपी–9851 हृदय रोगी–234	गैर संचारी रोगों से ग्रसित नागरिकों को उचित परामर्श एवं सन्दर्भण की सुविधा प्रदान की जा रही है तथा आम जनमानस में गैर संचारी रोगों से बचाव हेतु जागरुकता प्रदान की जा रही है।	प्रदेश के नागरिको में गैर संचारी रोगों के प्रति जागरुकता का प्रसार होगा तथा उक्त से बचाव हेतु स्वस्थ जीवन शैली तथा आचरण अपनाने की संस्कृति का विकास होगा, जिससे नागरिक स्वस्थ्य होगे।	2020–21
	NTCP (National **T**obaco **C**ontrol **P**rogramme**)**	तम्बाकू सेवन को कम करना	38050.00	0	**Cigaratte and Other Tobacco Act (**कोटपा**),** 2003 के अन्तर्गत कुल चालान– 5999 कुल एकत्रित धनराशि–रु0 451298/– तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र में कुल 7752 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया। कुल 726 व्यक्तियों को निकोटेक्स चुइंगम वितरित किये गये। कुल 737 **School Awareness Programme** आयोजित	दिसम्बर, 2019 तक की स्थितिः– कोटपा, 2003 के अन्तर्गत कुल चालान– 5205 कुल एकत्रित धनराशि–रु0 336529/– तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र में कुल 9486 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया। कुल 1953 व्यक्तियों को निकोटेक्स चुइंगम वितरित किये गये। कुल 528 **School Awareness Programme** आयोजित	कोटपा, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ–साथ तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुकता प्रदान की जा रही है।	तम्बाकू के सेवन के दुष्प्रभावों की जानकारी प्राप्त होने से तम्बाकू सेवन पर अंकुश लगाया जा सकेगा, जिससे तम्बाकू से होने वाली गम्भीर बीमारियों जैसे कैंसर के खतरे को कम किया जा सकेगा।	
	NPPCD	चोट अथवा बीमारी के कारण श्रवण ह्रास की रोकथाम। बीमारी की शीघ्र पहचान, निदान व उपचार।			बहरेपन का परीक्षीण–8769 व्यक्ति बधिरता हेतु सर्जरी–172 व्यक्ति	दिसम्बर, 2019 तक की स्थितिः– बहरेपन का परीक्षीण–7813 व्यक्ति बधिरता हेतु सर्जरी–142 व्यक्ति	चोट अथवा बीमारी के कारण श्रावण ह्रास से ग्रसित सभी वर्ग क `व्यक्तियों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है।	विभाग के मूल लक्ष्य ''सबके लिए स्वास्थ्य'' को प्राप्त करने में सहायक	2020–21
	NPHCE	प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुगमता पूर्वक उनकी समस्याओं का निदान, उनकी रोकथाम तथा पुर्नवास सेवाएं प्रदान करना।			राज्य के अन्तर्गत 13 जनपदों में 10 बेड के Geriatic ward की स्थापना की गयी है। Geriatic क्लीनिक में 35400 वरिष्ठ नागरिकों को ओ0पी0डी0 तथा 3006 वृद्ध नागरिकों को आइ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गयी हैं।	दिसम्बर, 2019 तक की स्थितिः– **Geriatic** क्लीनिक में 35400 वरिष्ठ नागरिकों को ओ0पी0डी0 सेवाएं प्रदान की गयी हैं।	राज्य के वरिष्ठ नागरिकां को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।	विभाग के मूल लक्ष्य ''सबके लिए स्वास्थ्य'' को प्राप्त करने में सहायक	2020–21

	NMHP	मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान कर उपचार प्रदान करना।			3766 रोगियों को ओ0पी0डी0 सेवाएं प्रदान की गयी।	दिसम्बर, 2019 तक कुल 14478 रोगियों को ओ0पी0डी0 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।	मानसिक रोगियों को उचित उपचार प्रदान किया जा रहा हे।	विभाग के मूल लक्ष्य ''सबके लिए स्वास्थ्य'' को प्राप्त करने में सहायक	2020–21
	NOHP	ओरल हैल्थ की सेवाओं का सुदृणीकरण।			32282 रोगियों को ओ0पी0डी0 सेवाएं प्रदान की गयी।	दिसम्बर, 2019 तक की स्थितिः– समस्त जनपदों की एक सामु0स्वा0केन्द्र में डेंटल यूनिट का सुदृढीकरण किया गया है। दिसम्बर, 2019 तक कुल 32261 रोगियों को दन्त एवं मुख से सम्बन्धित रोगों का उपचार प्रदान किया गया है।	प्रदेश के नागरिकों को दन्त एवं मुख से सम्बन्धित रोगों के सम्बन्ध में जागरुकता प्राप्त होगी तथा ओरल रोगों का उपचार प्राप्त होगा।	विभाग के मूल लक्ष्य ''सबके लिए स्वास्थ्य'' को प्राप्त करने में सहायक	2020–21
	NPCB	भारत वर्ष में दृष्टिविहीनता की व्यापकता को 0.3 प्रतिशत लाना			मोतियाबिन्द के ऑपरेशन–50633 स्कूली छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण–4943 वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क चश्मा वितरण–3911 प्रदेश में कुल 420 नेत्र शिविरों का आयोजन	दिसम्बर, 2019 तक की स्थितिः– मोतियाबिन्द के ऑपरेशन–31527 स्कूल छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण–2659 वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क चश्मा वितरण–2375 प्रदेश में कुल 315नेत्र शिविरों का आयोजन	नेत्र से सम्बन्धित रोगों को उपचार प्रदान कर राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता दर को 0.3 प्रतिशत तक लाना।	भारत वर्ष में दृष्टिविहीनता की व्यापकता को 0.3 प्रतिशत लाना	2020–21
	प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम **(PMNDP)**	राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व न्यनतम दरों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराना।			प्रदेश में संचालित कुल 09 (कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, मेला चिकित्सालय हरिद्वार, संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ, एवं जिला चिकित्सालय उधमसिंह नगर) डायलिसिस केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिनमें न्यूनतम दरों पर डायलिसिस किया जाता है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 की द्वितीय तिमाही तक कुल 942 नये रोगियों को पंजीकृत किया गया तथा कुल 407000 डायलिसिस सेशन किये गये हैं।	प्रदेश के नागरिकों को न्यूनतम दरों पर डायलिसिस सेवा प्राप्त होगी।	प्रदेश के नागरिकों को न्यूनतम दरों पर डायलिसिस सेवा प्राप्त होगी।	2020–21

	टेलीरेडियोलॉजी	राज्य की कुल 35 चिन्हित चिकित्सा इकाई में टेलीरेडियोलॉजी सेवा उपलब्ध कराया जाना।			एक्स–रे– 5000 सी0टी0 स्कैन– 280 एम0आर0आई0–55	एक्स–रे– 130000 सी0टी0 स्कैन– 6140 एम0आर0आई0–1225	एक्स–रे– 60000 सी0टी0 स्कैन– 3500 एम0आर0आई0–700		
	हिमोग्लोबीनोपैथी कार्यकम	रक्त विकार/ हिमोग्लोबीनोपैथी हेतु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर में रोकथाम, नियत्रंण एवं जागरूकता अभियान संचालित करना।			स्क्रीनिंग–35790 (बच्चो की संख्या)	स्क्रीनिंग–33040 (बच्चो की संख्या)	रक्त विकार/हीमोग्लोबीनोपैथी का प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर रोकथाम	प्रदेश में रक्त विकार/हीमोग्लोबीनोपैथी के बारे में जन मानस को जागरुक कर रोकथाम करना	2020–21
	इन्टेग्रेटिड डीजिज सर्विलेन्स प्रोग्राम	• सिन्ड्रोमिक रिर्पोटिग (S Form), प्रिसम्पटिव रिपोर्टिंग (P Form), लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग (L Form) > 80% • एपिडेमिक संवेदनशील रोगो की जांच हेतु जिला पब्लिक हैल्थ लैब का सुदृढीकरण			S form- 85% P form- 90% L form- 88% 05	S form- 90% P form- 92% L form- 91% 08	समस्त चिन्हित रिपोर्टिंग यूनिटों का अनुश्रवण 5 अतिरिक्त जिला पब्लिक हेल्थ लैब का सुदृढीकरण	रिपोर्टिंग के अन्तर्गत सभी रिपोर्टिंग को 90 प्रतिशत से अधिक बनाये रखना सभी जनपदों में पब्लिक हेल्थ लैब का सुदृढीकरण	
					एड्स नियन्त्रण समिति				
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य को एच.आई. वी. के नये संक्रमण से वर्ष 2030 तक शून्य करना एवं एड्स से ग्रसित व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना।	40.02	0	एड्स रोगी–832 उपचारित रोगी–732	एड्स रोगी–832 उपचारित रोगी–832	एड्स रोगी–832 उपचारित रोगी–832	नये रोगियों की संख्या–0 उपचारित रोगी–100 प्रतिशत	2030–31
					अटल आयुष्मान				
	अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना	प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को प्रति वर्ष रु0 5 लाख तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।	10000.00	0	गोल्डन कार्ड–2956170 लाभार्थियां की संख्या–21018 कुल व्यय धनराशि–20,97,99,411/–	गोल्डन कार्ड–3834364 लाभार्थियां की संख्या–135917 कुल व्यय धनराशि–1,27,54,13,880/ –	प्रदेश के समस्त नागरिकों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।	विभाग के मूल लक्ष्य ''सबके लिए स्वास्थ्य'' को प्राप्त किया जा सकेगा।	2020–21
					हेल्थ सिस्टम				

	हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट	उत्तराखण्ड के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एवं राज्य की जनता स्वास्थ्य कारणों से होने वाले व्यय को कम करना।	6000.00	0	ओ0पी0डी0–5963 आई0पी0डी0–224 प्रसव–48 एक्स–रे–374 सर्जरी–0 अल्ट्रासाउण्ड–21 ई0सी0जी0–42 पैथोलॉजी जांच–1697 सी0टी0 स्कैन–0	ओ0पी0डी0–9712 आई0पी0डी0–425 प्रसव–47 एक्स–रे–913 सर्जरी–26 अल्ट्रासाउण्ड–638 ई0सी0जी0–162 पैथोलॉजी जांच–8802 सी0टी0 स्कैन–31	जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेन्ट।	उत्तराखण्ड के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी एवं राज्य की जनता स्वास्थ्य कारणों से होने वाले व्यय कम होगा।	

जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2020 की सम्भावित स्थित (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	अनुसूचित जनजाति पूर्व दशम कक्षाओं (1 से 8 तक) छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन	350.00	—	10729 (छात्र/छात्रा)	17000 (छात्र/छात्रा)	14396 (छात्र/छात्रा)	14396 (छात्र/छात्रा)	एक वर्ष
2	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पूर्व दशम (कक्षा 09 व 10) छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रांश)	अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन	200.00	—	2572 (छात्र/छात्रा	6050 (छात्र/छात्रा	5030 (छात्र/छात्रा)	5030 (छात्र/छात्रा)	एक वर्ष
3	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रांश)	अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन	2000.00	—	8790 (छात्र/छात्रा)	20267 (छात्र/छात्रा)	13000 (छात्र/छात्रा)	13000 (छात्र/छात्रा)	एक वर्ष
4	राजकीय जनजाति छात्रावास	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन	261.54	—	160 (छात्र)	160 (छात्र/छात्रा)	250 (छात्र/छात्रा)	250 (छात्र/छात्रा)	एक वर्ष
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन	3112.56	—	2174 (छात्र/छात्रा)	2174 (छात्र/छात्रा)	3055 (छात्र/छात्रा)	3055 (छात्र/छात्रा)	एक वर्ष
6	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन	अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन	578.73	—	339 (प्रशिक्षणार्थी)	413 (प्रशिक्षणार्थी)	396 (प्रशिक्षणार्थी)	396 (प्रशिक्षणार्थी)	एक वर्ष
7	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन	अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र/ छात्राओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा,	462.81	—	391 (छात्र/छात्रा)	391 (छात्र/छात्रा)	480 (छात्र/छात्रा)	480 (छात्र/छात्रा)	एक वर्ष

जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2020 की सम्भावित स्थित (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
		भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन							
8	निदेशालय जनजाति कल्याण का अधिष्ठान	निर्देशन तथा प्रशासन, बजट नियंत्रण, नियुक्तियां/पदोन्नतियां, समन्वय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन	218.50	—	कुल 558 पद स्वीकृत		निर्देशन तथा प्रशासन, बजट नियंत्रण, नियुक्तियां/ पदोन्नतियां, समन्वय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन		एक वर्ष
9	एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का अधिष्ठान	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन सुनिश्चित कराना	42.04	—	2 (अधिष्ठान)	2 (अधिष्ठान)	2 (अधिष्ठान)	2 (अधिष्ठान)	एक वर्ष
10	जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बन्धित विषयों पर सलाह देना	38.61	—	1 (अधिष्ठान)	1 (अधिष्ठान)	1 (अधिष्ठान)	1 (अधिष्ठान)	एक वर्ष
11	उत्तरखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान	अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास, उनकी विभिन्न समस्याओं पर सुझाव तथा उत्पीडन सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही	49.67	—	प्राप्त अपील–129 सुनवाई–26 निस्तारित प्रकरण–44		01 पद अध्यक्ष 01 पद उपाध्यक्ष 08 पद सदस्य 01 पद सचिव 04 पद अन्य कार्मिक	अनुसूचित जनजाति के उत्पीडन सम्बन्धी मामलों की अपील,सुनवाई तथा निस्तारण	एक वर्ष
12	संविधान के अनुच्छेद–275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन	1800.00	—	12 (योजनाएं)	5 (योजनाएं)	15 (योजनाएं)	15 (योजनाएं)	एक वर्ष
13	आदिम जनजाति के विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	बुक्सा एवं राजी जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन	600.00	—	30270 (संख्या)	908 (लाभार्थी)	1000 (संख्यां)	1000 (संख्या)	एक वर्ष

जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2020 की सम्भावित स्थित (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
14	जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	बुक्सा एवं राजी जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन	900.00	–	1194 (संख्यां)	375 (संख्यां)	375 (संख्यां)	375 (संख्यां)	एक वर्ष
16	अनुसूचित जनजातियों की पुत्री की शादी हेतु योजना	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी आर्थिक हेतु सहायता उपलब्ध कराना	500.00	–	744 (लाभार्थी)	1000 (लाभार्थी)	1000 (लाभार्थी)	1000(लाभार्थी)	एक वर्ष
17	कन्याधन योजना	अनुसूचित जनजाति की इण्टरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण बरलिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	300.00	–	–	–	600 (लाभार्थी)	600(लाभार्थी)	एक वर्ष
18	अनुसूचित जनजाति के लिए अटल आवास योजना	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	300.00	–	142 (लाभार्थी)	495 (लाभार्थी)	495 (लाभार्थी)	495 (लाभार्थी)	एक वर्ष
19	इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण योजना	अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराना	50.00	–	–	–	125 (लाभार्थी)	125 (लाभार्थी)	एक वर्ष
20	सहायता प्राप्त पुस्त./प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान	अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन	900.00	–	27 (विद्यालय संख्या)	29 (विद्यालय संख्या)	29 (विद्यालय संख्या)	29 (विद्यालय संख्या)	एक वर्ष
21	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवा हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग	अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग की निःशुल्क व्यवस्था किया जाना	50.00	–	–	530 (लाभार्थी)	530 (लाभार्थी)	530 (लाभार्थी)	एक वर्ष
22	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परियोजनाऐं	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन	50.00	–	1 (योजना)	1 (योजना)	1 (योजना)	1 (योजना)	एक वर्ष

जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2020 की सम्भावित स्थित (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
23	बुक्सा और राजी जनजाति का विकास योजना	बुक्सा एवं राजी जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को पृथक से संचालित किए जाने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करना	100.00	–	351 (छात्र/छात्रा)	400 (छात्र/छात्रा)	400 (छात्र/छात्रा)	400 (छात्र/छात्रा)	एक वर्ष
24	बुक्सा जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष योजना	प्रदेश में निवासरत बुक्सा जनजातियों के युवक व युवतियों की तकनीकी शिक्षा/ कौशल विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना	30.00	–	–	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	एक वर्ष
25	थारू जनजाति हेतु चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	प्रदेश में निवासरत थारू जनजातियों के युवक व युवतियों की तकनीकी शिक्षा/ कौशल विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना	50.00	–	–	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	एक वर्ष
26	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालन किया जाना एवं उन्हें स्व रोजगार हेतु उत्साहित करना	10.00	–	–	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	एक वर्ष
27	शिल्पी ग्राम योजना	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके प्रचलित शिल्प को पुनजीर्वित एवं विकसित करने हेतु विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं उन्हें स्व रोजगार हेतु उत्साहित करना	10.00	–	–	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	100 (लाभार्थी)	एक वर्ष
28	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में विभिन्न अवस्थापना	–	400.00	26 (योजनाएं)	100 (योजनाएं)	100 (योजनाएं)	100 (योजनाएं)	एक वर्ष

जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2020 की सम्भावित स्थित (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020–21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
	विकास	सुविधाओं में अवशिष्ट कार्य (critical gap) आदि की योजनाओं का निर्माण किया जाना							
29	जनजाति स्वरोजगार अंश पूंजी–निगम	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाली योजनाओं में मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराया जाना	—	51.00	1 (अधिष्ठान)	1 (अधिष्ठान)	1 (अधिष्ठान	1 (अधिष्ठान)	एक वर्ष
30	राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय, बिन्सौण, देहरादून का भवन निर्माण	अनुसूचित जनजाति के बालकों हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण	—	0.01	1 (विद्यालय संख्या)	–	–	–	एक वर्ष
31	राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण	विभागान्तर्गत संचालित राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना	—	150.00	2 (योजनाऐं)	4 (छात्रावास संख्या)	4 (छात्रावास संख्या)	4 (छात्रावास संख्या)	एक वर्ष
32	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण	विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना	—	250.00	2 (योजनाऐं)	15 (विद्यालय संख्या)	15 (विद्यालय संख्या)	15 (विद्यालय संख्या)	एक वर्ष
33	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण	विभागान्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना	—	150.00	3 (योजनाऐं)	3 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या)	3 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या)	3 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या)	एक वर्ष
34	निदेशालय जनजाति कल्याण भवन निर्माण	निदेशालय जनजाति कल्याण भवन का विस्तारीकरण करना	—	0.01	1 (भवन संख्या)	–	–	–	एक वर्ष

सतत विकास लक्ष्यः–

क्र.सं.	SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
1	कक्षा 01 से 10 तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में पंजीकृत छात्र/छात्रा संख्या	2174	3055	3055	3055
2	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से दशमोत्तर तक) योजना में लाभार्थी संख्या	22091	43317	43317	43317

जलागम प्रबन्ध निदेशालय उत्तराखण्ड

(धनराशि लाख रुपये में)

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/बजट		एस0डी0जी0 Goal/ Indicator	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक)	2019–2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2020 –21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020 –21	समय सीमा
		राजस्व	पूँ						
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9
विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना	परियोजना के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्र में समुदायों की भागीदारी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और वर्षा आधारित कृषि की उत्पादक क्षमता बढ़ाना।	18464.59	00	**1.गरीबी उन्मूलन** 1.4– 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी पुरूष और महिलाओं विशेष रूप से गरीब और कमजोर को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकारों के साथ–साथ मूलभूत सेवाएं, भूमि तथा सम्पत्ति के अन्य रूपों, विरासत,प्राकृतिक संसाधन, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और माइक्रोफाइनांस सहित वित्तीय सेवाओं को स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त हो।	42700 परिवार परियोजना कार्याक्रमों से लाभान्वित	15000 परिवार परियोजना कार्याक्रमों से लाभान्वित	526 ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाओं का कियान्वयन	18000 परिवार परियोजना कार्याक्रमों से लाभान्वित	0–3 वर्ष
					7040 निर्बल परिवार आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित जिसमें 40 प्रतिशत महिलायें	2005 निर्बल परिवार आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित जिसमें 40 प्रतिशत महिलायें	समाजिक कोष से 1490 निर्बल वर्ग के व्यक्तियों व निर्बल वर्ग के 305 समूहों को आय अर्जक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता	3015 निर्बल परिवार आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित जिसमें 40 प्रतिशत महिलायें	1 वर्ष
				2.भुखमरी से मुक्ति 2.4– 2030 तक सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना और लचीली कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे जिससे परिस्थितिकीयता़ बनी रहे ताकि मौसम परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो और इससे भूमि और मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा।	1810 हे0 परती भूमि का कृषि एवं औद्यानिक कार्यो में उपयोग	732 हे0 परती भूमि का कृषि एवं औद्यानिक कार्यो में उपयोग	1090 हे0 परती भूमि में उद्यान स्थापना व उच्च मूल्य फसलों का उत्पादन	1090 हे0 परती भूमि का कृषि एवं औद्यानिक कार्यो में उपयोग	0–4 वर्ष
					5938 हे0 सिचन क्षेत्र में निवल वृद्धि	820 हे0 सिचन क्षेत्र में निवल वृद्धि	180 कि.मी. सिंचाई गूल व सिंचाई पाईप लाईन की स्थापना तथा 16980 घन मी0 अतिरिक्त जल संग्रहण हेतु विभिन्न जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण	2610 हे0 सिचन क्षेत्र में निवल वृद्धि से उच्च मूल्य फसलों तथा बेमौसमी सब्जी उत्पादन तथा फसल उत्पादन में वृद्धि से कृषकों की आय में वृद्धि	0–1 वर्ष
				5.लैंगिक समानता 5.5– राजनैतिक, आर्थिक और लोक–जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए नेतृत्व के समान अवसर तक पूर्ण और कारगर सहभागिता सुनिश्चित करना।	1098 महिलायें जिन्हें महिला प्ररेक के रूप में संगठित किया गया।	1098 महिलायें जिन्हें महिला प्ररेक के रूप में संगठित किया गया।	1098 महिला प्ररेक द्वारा सामाजिक संचेतना का कार्य	योजना के निर्माण व कार्यान्वयन में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता।	0–1
				6.स्वच्छ जल एवं साफ सफाई 6.6– 2020 तक पर्वतों, वनों, आर्द्र–भूमि, नदियों, जलदायी स्तरों और झीलों सहित संबंधी पारित़ों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना।	1485 जल निकायों/जल स्रोतों का उपचार प्रगति पर इन जल स्रोतों के जल	1485 जल निकायों/जल स्रोतों का उपचार जल स्रोतों के जल उत्सर्जन में 25	4150 चाल–खाल,, तालाब, निर्मित/पुनरोद्धार, 22000 रिचार्ज पिट व 50600 खन्तियों का निर्माण	परियोजना में लक्षित 1530 जल निकायों/जल स्रोतों का उपचार जल स्रोतों के जल	1–3 वर्ष

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/बजट		एस0डी0जी0 Goal/ Indicator	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक)	2019–2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2020 –21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020 –21	समय सीमा
		राजस्व	पूँ						
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9
					उत्सर्जन में 22 से 27 प्रतिशत वृद्धि	से 30 प्रतिशत वृद्धि	वानस्पतिक आच्छदन।	उत्सर्जन में 20 से 35 प्रतिशत वृद्धि	
				15.थलीय जीवों की सुरक्षा 15.3– 2030 तक मरूस्थलीकरण को रोकना, मरूस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा मृदा का पुनरूद्धार करना और भूमि–अवक्रमण–निष्पक्ष विश्व को हासिल करने के लिए प्रयास करना।	82 सूक्ष्म जलागम में उपचार कार्य गतिमान 55 प्रतिशत क्षेत्र उपचारित	82 सूक्ष्म जलागम में उपचार कार्य प्रगति 14 प्रतिशत क्षेत्र उपचारित	82 सूक्ष्म जलागम में जलागम उपचार के विविध कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	82 सूक्ष्म जलागम का 20 प्रतिशत उपचारित	1– 3 वर्ष
					8371 हे0 वानस्पतिक आच्दादन में वृद्धि	864 हे0 वानस्पतिक आच्दादन में वृद्धि	वानिकी रोपण, उद्यान स्थापना तथा चारा विकास	2358 हे0 वानस्पतिक आच्दादन में वृद्धि	0–3 वर्ष
					515 हजार घन मी0 मिट्टी संरक्षित	135 हजार घन मी0 मिट्टी संरक्षित	225300 धन0मी0 भूमि संरक्षण संरचनाओं का निर्माण,	342 हजार घन मी0 मिट्टी संरक्षित	0–1 वर्ष
					1199 है0 भूमि की उपजाउ मिट्टी संरक्षित	179 है0 भूमि की उपजाउ मिट्टी संरक्षित	825 रनिंग कि0मी0 मेंढों में नैपियर घार रोपण व 5675 घन मी0 कृषि टैरेस रिपेयर,	247 है0 भूमि की उपजाउ मिट्टी संरक्षित	
					38266 कृषकों द्वारा नवीन कृषि तकनीकी व बीजों का अंगीकरण, कृषि उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि	13397 कृषकों द्वारा नवीन कृषि तकनीकी व बीजों का अंगीकरण, कृषि उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि	806 हे0 उच्च उत्पादकता फसल क्षेत्र प्रदर्शन 1188 हे0 एडप्सन सपोर्ट	–13000 कृषकों द्वारा नवीन कृषि तकनीकी व बीजों का अंगीकरण, कृषि उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि – कृषकों के आय में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि	1 वर्ष
							104 हे0 में उच्च उत्पादकता सब्जी प्रजाति का प्रदर्शन		
					15006 कृषक 1358 इच्छुक कृषक समूह में संगठित	16 फार्मर फैडरेशन, व 1399 एफआई.जी के अन्तर्गत 15630 कृषक संगठित	कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पैकेजिंग व विपणन हेतु 9 ग्रोथ सैन्टर की स्थापना		
							1306 पौली हाउस व पौलीटनल की स्थापना		
					14442 मी0 टन प्रतिवर्ष चारा उत्पादन वृद्धि	1198 मी0 टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त चारा उत्पादन वृद्धि	91 हे0 चारागाह विकास 145 हे0 कृषि खेतों में चारा उत्पादन 82.5 हे0 नैपियर घास रोपण 573 हे0 वानिकी वृक्षारोपण	लगभग 1890 मी0 टन अतिरिक्त चारा उत्पादन	0–2 वर्ष

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/बजट		एस0डी0जी0 Goal/ Indicator	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक)	2019–2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2020 –21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020 –21	समय सीमा
		राजस्व	पूँ						
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9
							151 नैसर्गिक अभिजनन केन्द, 12 पैरावेट केन्द्र की स्थापना इसके अतिरिक्त मास ए.आई. कैम्पेन	उन्नत नश्ल की संतति से दुग्द उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि	3 वर्ष से आगे
केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास योजना का मुख्य उद्देष्य राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्ध कर ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढाना है।		1700.00	00	**1.गरीबी उन्मूलन** 1.4– 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी पुरूष और महिलाओं विशेष रूप से गरीब और कमजोर को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकारों के साथ–साथ मूलभूत सेवाएं, भूमि तथा सम्पत्ति के अन्य रूपों, विरासत,प्राकृतिक संसाधन, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और माइक्रोफाइनांस सहित वित्तीय सेवाओं को स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त हो।	3120 निर्बल परिवार आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित।	आय अर्जक गतिविधियों द्वारा 1200 निर्बल वर्ग व्यक्ति लाभान्वित।	भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका सम्बन्धी गतिविधयां के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के 300 समूहों को आय अर्जक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता।	व्यक्तियों के लिए आजीविका सम्बन्धी गतिविधयां के अन्तर्गत निर्बल वर्ग को आय अर्जक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता जिसके द्वारा 1500 निर्बल वर्ग व्यक्ति लाभान्वित।	1–2 वर्ष
				2.स्वच्छ जल एवं साफ सफाई 6.6– 2020 तक पर्वतों, वनों, आर्द्र–भूमि, नदियों, जलदायी स्तरों और झीलों सहित संबंधी पारितों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना।	1397 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्वार जिसके द्वारा 7798 घ0मी0 जल संग्रहण क्षमता में वृद्वि।	243 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्वार जिसके द्वारा 461 घ0मी0 जल संग्रहण क्षमता में वृद्वि।	450 जल संग्रहण संरचनाओं–परकुलेषन टैंक, तालाब, चाल/खाल, वर्षा जल संग्रहण टैंक, जल संग्रहण टैंक का निर्माण एवं पुराने जल संग्रह संरचनाओं का जीर्णोद्वार।	2310 घ0मी0 जल संग्रहण क्षमता में वृद्वि एवं 53 हे0 सिंचन क्षेत्र वृद्वि।	1 वर्ष
				15.थलीय जीवों की सुरक्षा 15.3– 2030 तक मरूस्थलीकरण को रोकना, मरूस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा मृदा का पुनरूद्धार करना और भूमि–अवक्रमण–निष्पक्ष विश्व को हासिल करने के लिए प्रयास करना।	47 सूक्ष्म जलागम में उपचार कार्य गतिमान 21 प्रतिषत क्षेत्र उपचारित	47 सूक्ष्म जलागम में उपचार कार्य गतिमान 9 प्रतिषत क्षेत्र उपचारित	47 सूक्ष्म जलागम में जलागम उपचार के विविध कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	47 सूक्ष्म जलागम का 16 प्रतिषत उपचारित (अब तक कुल 46 प्रतिशत उपचारित)	1 वर्ष
					37 हे0 वृक्षारोपण एवं चारा विकास कार्यक्रम द्वारा वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि	100 हे0 वृक्षारोपण एवं चारा विकास कार्यक्रम द्वारा वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि	वानिकी रोपण, उद्यान स्थापना तथा चारा विकास	157 हे0 वृक्षारोपण एवं चारा विकास कार्यक्रम द्वारा वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि	1–3 वर्ष

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/ बजट		एस0डी0जी0 Goal/ Indicator	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक)	2019–2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2020 –21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020 –21	समय सीमा
		राजस्व	पूँ						
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9
					226 हे0 क्षेत्रफल में उच्च उत्पादकता कृषि फसल, उच्च उत्पादक सब्जी प्रजाति एवं मसालों का उत्पादन।	139 हे0 क्षेत्रफल में उच्च उत्पादकता कृषि फसल, उच्च उत्पादक सब्जी प्रजाति एवं मसालों का उत्पादन।	105 हे0 क्षेत्रफल में फलोउद्यान, उच्च उत्पादकता कृषि फसल, उच्च उत्पादक सब्जी प्रजाति एवं मसालों का उत्पादन। 45 पौली हाउस व 103 वर्मी कम्पोस्ट की स्थापना	नवीन कृषि तकनीकी द्वारा 4740 कृषक लाभान्वित।	1 वर्ष

सतत् विकास लक्ष्य

क्र. सं.	SDG संकेतक	1–4–2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	2019–20 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020–21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020–21
1	**15–वन एवं पर्यावरण संवहनीयता (थलीय जीवों की सुरक्षा)** **15.3– 2030 तक मरूस्थलीकरण को रोकना, मरूस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा मृदा का पुनरूद्धार करना और भूमि–अवक्रमण–निष्पक्ष विश्व को हासिल करने के लिए प्रयास करना।** – सूक्ष्म (MWS) जलागम उपचार	645 सूक्ष्म जलागम उपचारित 151 सूक्ष्म जलागमों का 48 प्रतिशत उपचारित (उपचार योग्य 922 सूक्ष्म जलागम का 78 प्रतिशत उपचारित)	645 सूक्ष्म जलागम उपचारित 151 सूक्ष्म जलागमों का 32 प्रतिशत उपचारित (उपचार योग्य 922 सूक्ष्म जलागम का 2 प्रतिशत उपचारित)	151 सूक्ष्म जलागमों में जलागम विकास के विविध कार्यों का कार्यान्वयन	22 सूक्ष्म जलागम उपचारित व 129 सूक्ष्म जलागमों का 28 प्रतिशत उपचारित (129 सूक्ष्म जलागमों का मार्च 2021 तक कुल 84 प्रतिशत उपचारित)

डेरी विकास विभाग,– उत्तराखण्ड

आउटकम बजट 2020–21

(धनराशि हजार रू में)

विभाग का नाम– डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम		समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत		राजस्व	पूँजीगत	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	निदेशन एवं प्रशासन	कार्मिकों के वेतन, भत्ते तथा कार्यालय संचालन हेतु सहायता	129655	0	206 विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।	–	01 वर्ष	विभागीय अधिकारिया व कार्मिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।		01 वर्ष
राज्य योजना (चालू योजना)										
1.	डेरी विकास योजना	दुग्ध संघों में अवस्थापना विकास तथा अन्य आवर्ती व्यय में सहायता प्रदान करना।	37000		1. 1500 समिति सचिवो को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। 2. दुग्ध संघों के अन्तर्गत नियुक्त 40 ग्रुप सचिवों को मानदेय का भुगतान किया जायेगा। 3 दुग्ध उपार्जन पर हो रहे यातायात व्यय से 26400 सदस्य लाभान्वित होगें। 1. 250 दुग्ध उत्पादकों व 60 विभागीय कार्मिकों का प्रशिक्षण। 5. सेन्ट्रल डेरी लैब का सुदृढ़ीकरण एवं कार्य संचालन संख्या–01।	–	01 वर्ष	1. दुग्ध उपार्जन में वृद्धि। 2. दुग्ध संघों में नियुक्त ग्रुप सचिवों के रूप में रोजगार का सृजन। 3. पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूरवर्ती ग्रामों में दुग्ध समितियां सीापित कर रोजगार सृजित होगा।		03 वर्ष
				5000		1. 150 डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट सीापित की जायेगी। 2. दुग्ध संघो में मशीनरी संयत्रों की सीापना की जायेगी।	01 वर्ष	–	1. दुग्ध उत्पादकों के उचित दुग्ध मूल्य प्राप्त होगा। 2. दुग्ध संघों की दुग्ध प्रसंस्करण में वृद्धि होगी।	01 वर्ष
2.	महिला डेरी विकास योजना	महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करते हुए विकास की मुख्य धारा में जोड़ना।	45453	0	1. ग्राम स्तर पर 26 महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा। 2 520 महिला दुग्ध उत्पादकों को समितियों से जोड़ा जायेगा। 3. 26 महिलाओं को ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।	–	01 वर्ष	1. महिलाओं को आय के साधन सुलभ होने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। 2.महिलाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास एवं आत्म निर्णय की भावना जागृत होगी।	–	03 वर्ष

					4. 1120 दुधारू पशुओं का बीमा कराया जायेगा।					
					दुग्ध समिति गठन कर 2500 लीटर प्रतिदन दुग्ध उपार्जन में वृद्धि की जायेगी।	–	01 वर्ष	उपरोक्त	–	01 वर्ष

3.	सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की सीापना	राज्य के परिप्रेक्ष्य में दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराना।	0	4000		1. जनपद नैनीताल में स्थापित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान व छात्रावास के अन्तर्गत अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य किये जायेगा।	01 वर्ष	–	1. दुग्ध उत्पादक राज्य की जलवायु के अनुसार पशुपालन एव दुग्ध उत्पादन में प्रशिक्षत होगें। 2. परीक्षण उपरान्त दुग्ध उत्पादकों को हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों का समाधान हो सकेगा।	03 वर्ष
4.	दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार करना।	0	5000		विभिन्न जनपदों की दुग्धशालााओं में एफल्यूऐन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट का सुद्ढ़ीकरण कार्य किया जायेगा।	01 वर्ष		दुग्ध संघों की वर्तमान क्षमता का विस्तार होगा।	02 वर्ष
5.	दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन	ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा दुग्ध समिति में उपलब्ध कराये जा रहे दूध के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाना।	220000	0	52 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।	–	01 वर्ष	1. अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादको को सहकारी समितियों से जोडना। 2. ग्राम स्तर पर पशुपालन हेतु प्रोत्साहित करना	–	03 वर्ष
6.	गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना	ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन करना।	60000	0	दुग्ध सहकारी समितियों की 1700 महिला/सामान्य सदस्यों को 6500 उच्च नस्ल दुधारू पशु	–	01 वर्ष	1 ग्रामीण महिलाओं /दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना। 2. दुग्ध समितियों	–	03 वर्ष

					उपलब्ध कराते हुए रोजगार सृजन किया जायेगा।			के अन्तर्गत उपार्जन में वृद्धि करना।		
7.	दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	रूग्ण दुग्ध संघों के कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान कर सम्बन्धित दुग्ध संघों के आवृत्ति व्यय में कमी स्थायी कमी करना।	20000	0	रूग्ण दुग्ध संघों के कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जायेगी।	–	01 वर्ष	रूग्ण दुग्ध संघों के आवृत्ति व्यय में स्थायी कमी होने के कारण दुग्ध संघ लाभ की ओर अग्रसर होगें।	–	03 वर्ष
8.	साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना	दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा पाले जा रहे दुधारू पशुओं हेतु हरे चारे की वर्ष भर व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनको उचित पोषण उपलब्ध कराना।	30000	0	दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों के दुधारू पशु को 6 हजार मै0 टन साईलेज, 100 मै0 टन मिनिरल मिक्सचर एवं 10 मै0 टन प्रोबाइटिक्स 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।	–	01 वर्ष	दुधारू पशुओं को उचित पोषण प्राप्त होगा तथा उनके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।	–	
9.	पशुचारा परिवहन अनुदान योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में सीापित दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा उपयोग किये जा रहे पशुचारे में परिवहन व्यय के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर संतुलित पशुचारे एवं साईलेज की मांग को बढ़ाना।	65000	0	52 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 6 हजार मै0 टन साईलेज एवं 16 हजार मै0 टन सन्तुलित पशु आहार के ढुलान पर रू0 3.00 प्रति कि0ग्रा0 क दर से परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	–	01 वर्ष	परिवहन अनुदान उपलब्ध कराये जाने से साईलेज एवं संतुलित पशुआहार की नियंत्रित होगी तथा इनके दुग्ध उत्पाादकों के मध्य चलन में नियमितता आयेगी, जिस कारण दुधारू पशुओं को उचित पोषण प्राप्त होगा तथा उनके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।	–	01 वर्ष

10.	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित (RIDF) योजना	राज्य में गठित दुग्ध संघों एवं उनके दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा नये दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की सीापना	60000	0	दुग्ध संघों की क्षमता में विस्तार एवं उत्पादित दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार	–	01 वर्ष	1. दुग्ध संघों द्वारा उत्पादित दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार होगा। 2. दुग्ध संघों की आय में वृद्धि होगी।	–	01 वर्ष
11.	डेरी विकास विभाग, निदेशालय निर्माण कार्य	निदेशक डेरी विकास विभाग का अपना कोई कार्यालय भवन उपलब्ध नही है, कार्यालय भवन की स्थापना	0	10000	निदेशालय भवन विभागीय होने पर कार्मिकों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा।	–	01 वर्ष	अपना कार्यालय भवन होने पर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।	–	02 वर्ष
जिला योजना (चालू योजना)										
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण	ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर स्वरोजगार के साधन सुलभ कराना।	0	0	दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं हेतु 55 हजार पशु औषधि, 45 हजार टीकाकरण, 18 हजार डिवर्मिग एवं 18 हजार मै0 टन सन्तुलित पशुआहार रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा।	–	–	दुधारू पशुओं को संतुलित पशुआहार तथा पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने से पशु स्वास्थ्य में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन एवं उपार्जन में वृद्धि होगी।	–	–
केन्द्रपोषित योजना										
1..	राष्ट्रीय डेरी विकास योजना	दुग्ध सहकारी समितियों में अवस्थापना विकास।	0	60000		1. दुग्ध समितियों में डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना । 2 पर्वतीय क्षेत्र की दुग्ध समितियों में रेफ्रिजरेटेड मिल्क केन की सीापना। 3. दूध की कोल्ड चैन बनाये रखने हेतु रफ्रिजरेटेड/इन्सुलेटेड मिल्क वैन, डीप फ्रिज तथा विजी कूलर सीापित किये जायेगें।	01 वर्ष	–	1 दुग्ध उत्पादको की आय में वृद्धि होगी। 2. दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा। 3. दुग्ध संघ के लाभ में वृद्धि होगी।	03 वर्ष

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

आउटकम बजट 2019–20

विभाग का नाम– डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		एस0डी0जी0 Goals/Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2019–20	1–4–2018 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	निदेशन एवं प्रशासन	कार्मिकों के वेतन, भत्ते तथा कार्यालय संचालन हेतु सहायता	115254	–	विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को वेतन भत्तों का भुगतान एवं कार्यालय संचालन/विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के कियान्वयन हेतु सहायता।	206 विभागीय अधिकारियों व कार्मिक के वेतन भतें का भुगतान किया जायेगा।	140 विभागीय अधिकारियों व कार्मिक के वेतन भतें का भुगतान किया जायेगा।	विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।	01 वर्ष
राज्य योजना (चालू योजना)									
1.	डेरी विकास योजना	दुग्ध संघों में अवस्थापना विकास तथा अन्य आवर्ती व्यय में सहायता प्रदान करना।	34000	–	**Goal-1** 1– दुग्ध प्रसंसकरण व अवशीतन क्षमता 2–कार्यरत दुग्ध समितियों की संख्या	1. 1500 समिति सचिवों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किा जायेगा। 2. दुग्ध उपार्जन पर हो रहे यातायात व्यय से 22000 सदस्य लाभान्वित होगें। 3. 500 दुग्ध उत्पादकों व 50विभागीय कार्मिकों का प्रशिक्षण 4. सेन्ट्रल डेरी लैब का सुदृढ़ीकरण संख्या–01।	1. दुग्ध समितियों के 1421 सचिव लाभान्वित। 2. 18342 सदस्य लाभान्वित। 3. 411 दुग्ध उत्पादक एवं विभागीय कार्मिक प्रशिक्षित 4. 01 लैब के लिए उपकरण व्यवस्था।	1. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विक्रय में वृद्धि। 2. पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूरवर्ती ग्रामों में दुग्ध समितियां सीपित कर रोजगार सृजित होगा।	कार्य प्रगति पर है।
			–		**Goal-2** 1– नगरीय क्षेत्रों में तरल दूध की आपूर्ति	1 10 मूवेबिल मिल्क वेडिंग मशीन सीपित की जायेगी। 2. 100 डाटा मिल्क प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट सीपित की जायेगी। 3. दुग्ध संघों में मीनरी संयत्रों की सीपना की जायेगी।	162151 लीटर दूध प्रतिदिन।	उपरोक्त	उपरोक्त
2.	महिला डेरी विकास योजना	महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करते हुए विकास की मुख्य धारा में जोड़ना।	61300	–	**Goal-1** 1– महिला दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या। 3. महिला सदस्यों की संख्या	1. ग्राम स्तर पर 26 महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा। 2. 520 महिला दुग्ध उत्पादकों को समितियों से जोड़ा जायेगा। 3. 26 महिलाओं को ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।	1. महिला समिति संख्या 1211 । 2. महिला सदस्य संख्या 45990।	1. महिलाओं को आय के साधन सुलभ होने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। 2.महिलाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास एवं आत्म निर्णय की भावना जागृत होगी।	महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं नेतृत्व की भावना जागृत हुई है।